



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

कासगंज

ग्राम पंचायत- भुजपुरा

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार





कलाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



ग्राम पंचायत - भुजपुरा

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
Email: doeuplko@yahoo.com; Website: www.upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन
गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव
श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

सुश्री सुधा वर्मा, आईएएस, जिलाधिकारी, कासगंज
श्री सचिन, पीडीएस, मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ
श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक
डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

डॉ. शिराज वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

श्री मोहित जाने, सुश्री मेखला शास्त्री, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

ग्राम प्रधान, भुजपुरा

श्री ग्रीशचंद्र

क्षेत्रीय शोध समर्थन

ग्राम स्वराज मिशन आश्रम (लखीमपुर)

श्री बिशम्बर नाथ, श्री उदय रतन

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया



श्री सचिन

(पी0डी0एस0)



मुख्य विकास अधिकारी
जनपद कासगंज,
उत्तर प्रदेश
दिनांक:- 09/07/24

:: संदेश ::

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत- भुजपुरा, विकास खण्ड-सिद्धपुरा, जनपद कासगंज की कार्ययोजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समर्पित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसे मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारी पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ाये।

यह कार्ययोजना ग्राम पंचायतों में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करे। साथ मिलकर हम प्रभारी जलवायु नीतियों को लागू कर सकते हैं, स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि समाजिक रूप से भी न्याय संगत हो।

एक बार फिर क्लाइमेट कार्य योजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये आप सभी को धन्यवाद। हम योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करता हूँ।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

भवदीय

(सचिन)

मॉडल ग्राम पंचायत भुजपुरा

विकास खण्ड सिद्धपुरा (कासगंज) उ.प्र.

प्रधान:
श्रीशचन्द्र

आवास:
ग्राम व पो0 भुजपुरा (कासगंज)
मोबा. 9758639790
Email.- chandragrish2015@gmail.com

क्रमांक

दिनांक.....

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत भुजपुरा विकास खण्ड सिद्धपुरा
जनपद- कासगंज



आभार


सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान ग्राम पंचायत भुजपुरा जनपद- कासगंज की ओर से सादर नमस्कार और अभिनंदन मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर बढ़ाये गये प्रथम प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही है और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आवश्यक थ ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिए समुदायिक सहभागिता के साथ साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आंकड़ों को एकत्र किया गया। आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिए मैं स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर इनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर का तथा आंकड़े एकत्र करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिए हृदय से धन्यवाद। हम सभी साथ मिलकर हमारी पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाएँगे जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समस्त गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग उत्तर प्रदेश और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली का भी आभारी हूँ। जिन्होंने एकत्र किये गए आंकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

इसके साथ ही पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग उत्तर प्रदेश और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली का भी आभारी हूँ। जिन्होंने एकत्र किये गए आंकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों से अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइए हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ें और दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करें। धन्यवाद !


श्रीशचन्द्र
(ग्राम प्रधान)
मॉडल ग्राम पंचायत भुजपुरा
वि०ख० सिद्धपुरा (कासगंज)
(प्रधान)
ग्राम पंचायत भुजपुरा

विषय-वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल	4
	1. ग्राम पंचायत भुजपुरा एक दृष्टि में	4
	2. जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	5
	3. मुख्य आर्थिक गतिविधियां	6
	4. कार्यरत महिलाएं	6
	5. कृषि	6
	6. प्राकृतिक संसाधन	8
	7. भुजपुरा में सुविधाएं	9
3	कार्बन फुटप्रिंट	10
4	व्यापक मुद्दे	11
5	प्रस्तावित मुद्दाव	12
	1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	13
	2. सतत कृषि	18
	3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	24
	4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	28
	5. स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच	34
	6. सतत एवं उन्नत गतिशीलता	44
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	47
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	51
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	57
8	आगे की राह	64
9	अनुलग्नक	65

चित्र

चित्र 1	: भुजपुरा ग्राम पंचायत, जिला कासगंज का भूमि-उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2	: भुजपुरा का वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2020	5
चित्र 3	: भुजपुरा में वार्षिक वर्षा (मिलीमीटर), 1990-2020	6
चित्र 4	: भुजपुरा में घरेलू स्तरीय प्राथमिक आय के स्रोत	6
चित्र 5	: भुजपुरा में घरेलू स्तरीय आय का अनुमान	6
चित्र 6	: भुजपुरा में राशन कार्ड वाले परिवार	7
चित्र 7	: भुजपुरा में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8	: भुजपुरा में सकल फ़सल क्षेत्र का फ़सलवार वितरण	8
चित्र 9	: 2022 में भुजपुरा में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	10
चित्र 10	: 2022 में भुजपुरा के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	10

कासगंज जिले की भुजपुरा ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी अर्ध-शुष्क कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। भुजपुरा की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जलवायु गतिविधियों/प्रक्रियाओं को मजबूत करने और पंचायत को वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट रोडमैप/दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत लचीलापन, अनुकूली क्षमता को बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजनाओं के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर कार्ययोजना तैयार की गई है। भुजपुरा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे भुजपुरा ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

कार्ययोजना¹ प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, दक्षिण-पश्चिमी अर्ध-शुष्क कृषि जलवायु क्षेत्र, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित करती है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए भुजपुरा ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधार रेखा बनाने और भुजपुरा के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली है।

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है, इस ग्राम पंचायत में एक राजस्व गांव और 2 बस्तियां और 946 घर हैं, जिनकी कुल आबादी² 3,525 है। मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि भुजपुरा ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट ~1,575 tCO₂e है।³

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण टूल का विकास

सर्वेक्षण और प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करना : पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन (PRA) की गतिविधियों यथा समूह केन्द्रित चर्चा (FGD), गाँव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक), सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से आंकड़ें एकत्र किए गए।

आंकड़ों का विश्लेषण और कार्ययोजना निर्माण:

- ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करना: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विस्तृत ग्राम पंचायत रूपरेखा विकसित की गई। इस रूपरेखा में जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और भुजपुरा में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित हैं।
- मुख्य मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (HRVCA) में प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- अनुमानित कार्बन फुटप्रिंट: भुजपुरा में प्रमुख गतिविधियों* के लिए कार्बन फुटप्रिंट अनुमान लगाया गया।
- प्रस्तावित संस्तुतियाँ/अनुशासः पहचाने गए/चिन्हित पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों के आधार पर भुजपुरा के लिए गतिविधियाँ/संस्तुतियाँ तैयार की गईं। इन गतिविधियों/संस्तुतियों में दक्षिण-पश्चिमी अर्ध-शुष्क क्षेत्र की प्रचलित विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, भुजपुरा की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना तैयार किए जाने के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

* गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत, आवासीय खाना पकाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्ययोजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन एवं खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) के पहलू सम्मिलित हैं।
2 जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार: कुल जनसंख्या - 2,253
3 ग्राम पंचायत के भीतर बिजली की खपत के कारण स्कोप 2 उत्सर्जन शामिल हैं (UPPCL से प्राप्त डेटा और CEA से प्राप्त ग्रिड उत्सर्जन कारक)

ग्राम पंचायत भुजपुरा में तत्काल कार्यवाही हेतु पहचाने गए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्न हैं:

- तालाबों के पुनरुद्धार, भूजल जीर्णोद्धार और वर्षा जल संचयन जैसी गतिविधियों द्वारा पानी की उपलब्धता को बढ़ाना
- सूक्ष्म सिंचाई प्रथाओं और जलवायु अनुकूल फसलों (सूखा प्रतिरोधी फसलें जैसे गेहूं, धान, बाजरा आदि) को उगाने सहित अन्य सतत कृषि प्रक्रियाओं/गतिविधियों को अपनाना
- सौर ऊर्जा संचालित और ऊर्जा कुशल पंपों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) समाधानों को बढ़ावा देना
- आजीविकाओं में विविधीकरण के माध्यम से आय में सुधार, हरित नौकरियों के क्षेत्र में अतिरिक्त अवसर प्रदान करना।

संवेदनशील क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और क्षेत्र सर्वेक्षणों से उभरने वाले मुद्दों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। गतिविधियों में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाना, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ गतिशीलता और बढ़ी हुई आजीविका और हरित उद्यमिता के विषयगत क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

इन संस्तुतियों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है- चरण I (2024-27), चरण II (2027-30) और चरण III (2030-35)। चरणबद्ध लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरणबद्ध लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

भुजपुरा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे भुजपुरा ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसएपी) निम्नलिखित द्वारा भुजपुरा जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगी:

- यह वर्तमान विकास कार्यों और गतिविधियों में जलवायु दृष्टिकोण को सम्मिलित करेगी
- जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना

इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को भुजपुरा की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।


इस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से कम किए गए कुल उत्सर्जन का अनुमान प्रति वर्ष 4,424 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 76,000 tCO₂ तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹37.60 करोड़ (11 वर्ष के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग सम्मिलित है। इसमें से आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹13 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशन/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत सीएसआर और निजी फंड से प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभावित रूप से सीएसआर को शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना

















क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



भुजपुरा

ग्राम पंचायत भुजपुरा एक दृष्टि में†

	स्थान	सिद्धपुरा ब्लॉक, कासगंज जिला
	कुल क्षेत्रफल	274.6 हेक्टेयर
	संरचना	1 राजस्व गांव और 2 बस्तियाँ
	कुल जनसंख्या⁴	3,525
	पुरुषों की संख्या	1,884
	महिलाओं की संख्या	1,641
	कुल परिवारों की संख्या⁵	946
	पंचायत अवसंरचना	5 - पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य उप-केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र और सामुदायिक भवन
	प्राथमिक आर्थिक गतिविधि	कृषि
	भूमि उपयोग⁶	~239.73 हे. कृषि भूमि 2.5 हे. सार्वजनिक भूमि ~1 हे. वन ~0.5 हे. सार्वजनिक उद्यान ~31 हे. शेष भूमि

	जल निकाय	2 तालाब 1 नहर 8 कुआं
	कृषि-जलवायु क्षेत्र⁷	दक्षिण-पश्चिमी अर्ध-शुष्क जलवायु परिस्थितियां: गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियों के साथ अर्ध-शुष्क से उप-आर्द्र तक 47°C अधिकतम तापमान 4°C न्यूनतम तापमान 662 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा मिट्टी: मुख्य रूप से जलोढ़ जो गेहूं और दालों की फसलों के लिए उपयुक्त है
	ज़िले की संयुक्त भेद्यता⁸	अधिक
	जिले की क्षेत्रीय भेद्यता	आपदा प्रबंधन भेद्यता: बहुत अधिक वन भेद्यता: बहुत अधिक जल भेद्यता: बहुत अधिक ऊर्जा भेद्यता: अधिक ग्राम्य विकास भेद्यता: अधिक स्वास्थ्य भेद्यता: अधिक कृषि भेद्यता: कम

† योजना की तैयारी के लिए दिए गए सर्वेक्षण के आंकड़े (फरवरी, 2023)


4 जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार: कुल जनसंख्या - 2,253; पुरुष - 1,226; महिला - 1,027

5 868 पक्के घर और 78 कच्चे घर (मिट्टी, भूसा, टिन)

6 ग्राम प्रधान के साथ कई चर्चाओं के आधार पर

7 उ.प्र. कृषि विभाग


8 उत्तर प्रदेश एसएपीसीसी 2.0



चित्र 1: भुजपुरा ग्राम पंचायत, जिला कासगंज का भूमि-उपयोग मानचित्र

जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफाइल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)⁹ से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता आंकड़ों (तापमान और वर्षा) से ज्ञात होता है कि 1990 और 2020 के बीच क्षेत्र में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष/महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है¹⁰ (चित्र 2 देखें)। इसी समयावधि के दौरान, वार्षिक वर्षा¹¹ में भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दिखता है (चित्र 3 देखें)। हालाँकि, आईएमडी के आंकड़ें पंचायत स्तर पर तापमान परिवर्तनशीलता को सम्मिलित नहीं करते हैं और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे।



चित्र 2: भुजपुरा का वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2020

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया सम्पूर्ण विश्व की भूमि और महासागर के सापेक्ष औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020 के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है।¹² इसी प्रकार के निष्कर्ष की पुष्टि जलवायु परिवर्तन पर अन्तः-सरकारी पैनल (आईपीसीसी)¹³ और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएस) के द्वारा भी की गयी है।¹⁴

9 भुजपुरा ग्राम पंचायत के लिए दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) आंकड़ें और दैनिक वर्षा आंकड़ें अलीगढ़ स्टेशन से लिए गए हैं, (निकटतम आईएमडी स्टेशन जो उसी कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है)


10 वर्ष 1998, 2006, 2007, 2009, 2014 के तापमान आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं

11 वर्ष 1998, 2006, 2009, 2012 के दैनिक वर्षा आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं

12 एशिया में 2023 में जलवायु की स्थिति <https://library.wmo.int/records/item/68890-state-of-the-climate-in-asia-2023>

13 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>)

14 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) की एक रिपोर्ट | <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2>



चित्र 3: भुजपुरा में वार्षिक वर्षा (मिलीमीटर), 1990-2020


इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से मौसम परिवर्तन के विषय में समुदाय के विचारों के बारे में पता चलता है, उनके द्वारा बताया गया कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 15 दिनों की वृद्धि देखी गई है। सर्दी के दिनों की संख्या लगभग 30 दिन कम हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 30 दिनों की कमी आई है।¹⁵

ग्राम पंचायत हेतु किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया है।


मुख्य आर्थिक गतिविधियां

ग्राम पंचायत में कृषि आय का प्राथमिक स्रोत है, जिससे लगभग 54 प्रतिशत परिवार जुड़े हुए हैं¹⁶ (चित्र 4 देखें)। बाकी के परिवार गैर-कृषि मजदूरी (~ 37 प्रतिशत) से जुड़े हुए हैं। 2 प्रतिशत से कुछ अधिक परिवार पशुपालन से जुड़े हुए हैं। शेष अन्य परिवार सेवा क्षेत्र, स्थानीय व्यवसायों, कला/हस्तशिल्प आदि में संलग्न हैं।

प्राथमिक सर्वेक्षण की सहायता से परिवारों की वार्षिक आय की जानकारी ली गयी जिसमें बड़ी संख्या में परिवारों (68 प्रतिशत) की आय प्रति वर्ष ₹50,000 से कम है, इसके सापेक्ष बहुत छोटी संख्या में परिवार (2 प्रतिशत) ₹2 लाख - ₹5 लाख से अधिक कमाते हैं (चित्र 5 देखें)।



चित्र 4: भुजपुरा में घरेलू स्तरीय प्राथमिक आय के स्रोत




चित्र 5: भुजपुरा में घरेलू स्तरीय आय का अनुमान

15 योजना के विकास के लिए किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण के डेटा से प्राप्त।

16 ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत में कई परिवार एक से अधिक कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, छोटी भूमि के मालिकों का बड़े खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करना। इसके अतिरिक्त, बड़े खेत के मालिक संलग्नक कृषि से भी जुड़े हो सकते हैं।

सर्वेक्षण के समय, ग्राम पंचायत में ~ 48 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) है। राशन कार्ड संबंधी आंकड़ें बताते हैं कि ग्राम पंचायत में लगभग 48 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजनाओं (पीडीएस) से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं। कुल राशन कार्डधारी परिवारों में से केवल 60 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड है¹⁷ (चित्र 6)।




चित्र 6: भुजपुरा में राशन कार्ड वाले परिवार

कार्यरत महिलाएं

क्षेत्र सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार भुजपुरा में कुल

80 महिलाएं काम करती हैं। इनमें से अधिकतम महिलाएं गैर-कृषि मजदूरी से जुड़ी हुई हैं। आजीविका के अन्य स्रोतों में पशुपालन, कृषि और कला/हस्तशिल्प सम्मिलित हैं। महिलाओं की एक छोटी संख्या सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई है जैसे पढ़ाना, बैंक और अन्य सरकारी नौकरियां, स्थानीय दुकानों द्वारा व्यवसाय चलाना आदि (चित्र 7 देखें) पंचायत में 80 परिवार ऐसे हैं जिनकी मुखिया महिला हैं¹⁸ (कुल परिवारों का 8.4 प्रतिशत)।



चित्र 7: भुजपुरा में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या


क्षेत्र सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि पंचायत में 8 स्वयं सहायता समूह हैं जो अधिकतर कृषि और बकरी पालन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।

कृषि

भुजपुरा में लगभग 54 प्रतिशत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। भुजपुरा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 240 हेक्टेयर है जबकि सकल फसल क्षेत्र 297 हेक्टेयर से अधिक है। उगाई जाने वाली मुख्य खरीफ फसलें हैं: धान, मक्का, बाजरा। उगाई जाने वाली मुख्य रबी फसलें हैं: गेहूं, सरसों, आलू, फूलगोभी और टमाटर। उगाई जाने वाली मुख्य दालें हैं: मसूर, उड़द, अरहर और मूंग। भुजपुरा में उगाई जाने वाली अन्य फसलें हैं: अरबी, तम्बाकू और आम। चित्र 8 ग्राम पंचायत में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार विभाजन दर्शाती है। सिंचाई के स्रोतों में नहर, ट्यूबवेल और तालाब सम्मिलित हैं। ग्राम पंचायत में 400 डीज़ल पंप और 10 इलेक्ट्रिक पंपों का उपयोग होता है।

17 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (https://nfsa.gov.in/portal/Ration_Card_State_Portals_AA)

18 महिला मुखिया वाले परिवार वे परिवार हैं जिनमें केवल महिलाएं कामकाजी हैं।



चित्र 8: भुजपुरा में सकल फ़सल क्षेत्र का फ़सलवार वितरण

इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत की केवल 2.1 प्रतिशत आबादी पशुपालन से जुड़ी हुई है। भुजपुरा में कुल पशुधन आबादी 690 (50 गाय, 320 भैंस, 20 सूअर और 300 बकरियां) है।

प्राकृतिक संसाधन

क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार भुजपुरा में 2 तालाब और 8 कुएँ हैं। ग्राम पंचायत में 1 हेक्टेयर वन क्षेत्र भी है। सामान्यतः जुलाई में भुजपुरा में वृक्षारोपण गतिविधियां की जाती हैं। वर्तमान में, कुल 0.5 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। इन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से लागू किया गया है। वृक्षारोपण गतिविधियों में ज़्यादातर आम, अमरुद, जामुन, अशोक, नीम और पाकड़ पेड़ों का रोपण किया जाता है।

भुजपुरा में सुविधाएं

बिजली तथा रसोई गैस

- बिजली कनेक्शन: ~90-95% घर
- रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन: ~65-70% घर



पेयजल

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्रोत-भूजल
- घरेलू स्तर पर पाइप से जलापूर्ति¹⁹: 100%



अपशिष्ट

- पंचायत खुले में शौच से मुक्त अर्थात ओडीएफ़ है
- घरेलू शौचालय कवरेज: ~97%
- 1 सामुदायिक शौचालय



आवागमन एवं बाज़ार तक पहुँच²⁰

- यमुना एक्सप्रेसवे से दूरी: 40 किलोमीटर
- राज्य हाईवे: SH 33 कासगंज – एटा: 15 किलोमीटर
- रेलवे स्टेशन: 16 किलोमीटर
- बस स्टेशन: 4 किलोमीटर
- कृषि बाज़ार: 4 किलोमीटर
- राशन की दुकान: 350 मीटर
- डाक घर (पोस्ट ऑफिस) ग्राम पंचायत के भीतर स्थित है
- पुलिस थाना: 4 किलोमीटर
- ब्लॉक विकास कार्यालय: 4 किलोमीटर
- बैंक: 4 किलोमीटर



शैक्षिक संस्थान

- सरकारी प्राथमिक विद्यालय

स्वास्थ्य संस्थान

- 1 आंगनवाड़ी केंद्र
- 1 स्वास्थ्य उप-केंद्र

¹⁹ जल जीवन डैशबोर्ड https://ejalshakti.gov.in/jjm/citizen_corner/villageinformation.aspx : 100%


²⁰ जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में उल्लिखित है



हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की संपूर्ण आधार रेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालांकि, संस्तुतियों में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या हवा में कार्बन से होने वाले प्रदूषण को लगभग समाप्त करने में मदद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) प्रक्षेपण सम्मिलित नहीं किया गया है।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए संस्तुतियाँ प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, भुजपुरा ग्राम पंचायत ने विभिन्न गतिविधियों से लगभग 1,575 कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) उत्सर्जित किया है (चित्र 9 देखें)।

कृषि, उर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन सेक्टर में होने वाली गतिविधियों ने भुजपुरा ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट में अपना योगदान दिया है। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन से उत्सर्जन और फसल अवशेष जलाने के कारण होने वाला उत्सर्जन शामिल हैं। ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन बिजली की खपत²¹, खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी और रसोई गैस (एलपीजी) के उपयोग, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग, पावर बैकअप के लिए जनरेटर का उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के उपयोग के कारण होता है। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।



चित्र 9: 2022 में भुजपुरा में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा 59 प्रतिशत है। ऊर्जा क्षेत्र के भीतर, डीजल पंप सेट प्रमुख उत्सर्जक हैं (~420 tCO₂e), इसके बाद आवासीय खाना पकाना (~225 tCO₂e), परिवहन (~159 tCO₂e), बिजली की खपत (~109 tCO₂e) और आवासीय जनरेटर (~14 tCO₂e) आते हैं। ग्राम पंचायत भुजपुरा में कृषि क्षेत्र का योगदान कुल उत्सर्जन का 32 प्रतिशत है, जिसमें पशुधन (~290 tCO₂e) और चावल की खेती (~158 tCO₂e) से उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के प्रमुख कारण हैं। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र की हिस्सेदारी 9 प्रतिशत है।



चित्र 10: 2022 में भुजपुरा के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

21 बिजली की खपत से हुए उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि बिजली उत्पन्न करने के लिए (कोयला) दहन ग्राम पंचायत के बाहर होता है

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत के एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के लिए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गयी है।

जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे एवं गतिविधियां अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध हैं।

व्यापक मुद्दे:

- मौसम की अवधि में बदलाव और अनियमित वर्षा से ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के साथ-साथ बुआई का समय, कटाई का समय और फसलों की सिंचाई की आवश्यकताएँ भी प्रभावित हो रही हैं
- जुलाई और अगस्त में बार-बार सूखा पड़ता है और अगस्त से सितंबर के दौरान जलभराव की समस्याएं होती हैं
- अस्थायी कृषि और पशुपालन पद्धतियाँ
- सीमित अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाएँ
- जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों का खराब रखरखाव
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई सुझाव/संस्तुतियाँ को सम्मिलित किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करते हैं। सुझाव/संस्तुतियों को **चरणबद्ध लक्ष्यों** और **लागत अनुमानों**²²(जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण - I (2024-25 से 2026-27); चरण - II (2027-28 से 2029-30); और चरण - III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों का प्रभावी और निगरानीपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)' दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

पहचाने गए वित्तपोषण के विकल्पों/तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधि या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत सुझाव/संस्तुतियाँ निम्नलिखित अनुभाग में हैं:

कार्ययोजना में प्रस्तावित सुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
2. सतत कृषि
3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
5. स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
6. सतत एवं उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, सुझाव/संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित पहलों/प्रयासों/नवाचरों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये पहल/प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हैं, इसलिए इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इस कारण से इन्हें मुख्य सुझाव/संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

²² लागत का अनुमान निम्नलिखित के आधार पर लगाया गया है, जैसे:

ग्राम पंचायत के मुख्य सदस्यों से प्राप्त जानकारी, या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार अनुमानित लागत, या आवश्यक आदानों की प्रति इकाई की अनुमानित लागत या विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूची।



1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

संदर्भ एवं मुद्दे²³

- भुजपुरा ग्राम पंचायत मुख्य रूप से घरेलू उपयोग के लिए भूजल पर निर्भर है जबकि सिंचाई के लिए नहर, ट्यूबवेल और तालाब प्रमुख स्रोत हैं। वर्ष 2018 से 2022 तक हर वर्ष जुलाई और अगस्त के महीनों में बारंबार सूखा पड़ा है।
- भुजपुरा में 2 तालाब हैं, दोनों तालाबों के खराब रखरखाव के कारण इनमें गाद, मलबा और कचरा भरा हुआ है, इसलिए इनकी सफ़ाई और पुनरुद्धार की आवश्यकता है।
- भुजपुरा की प्रमुख समस्याओं में से एक है जलजमाव, विशेषकर अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान यह समस्या अधिक हो जाती है। इससे लगभग 20 एकड़ में लगी खरीफ़ फ़सलों और पशुधन को नुकसान होता है, पीने का पानी दूषित होता है और स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं।²⁴ जल निकासी संबंधी बुनियादी ढांचों के अप्रभावी और उनके खराब रखरखाव के कारण यह समस्या और भी गंभीर बन जाती है।
- भूजल पर निर्भरता और पिछले पांच वर्षों से सूखे की लगातार घटनाएं जल संरक्षण और भूजल संसाधनों को फिर से भरने/पुनर्जीवित करने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को प्रदर्शित करती हैं।

भुजपुरा में संवेदनशीलता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नलिखित गतिविधियां/संस्तुतियाँ प्रस्तावित हैं।

²³ क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और अन्य प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्ट किया गया

²⁴ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आदानों पर आधारित



जल निकायों का पुनरुद्धार एवं संरक्षण

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> जल निकायों की सफाई करना, गाद निकालना और चारों ओर बाड़ लगाना/मेढबन्दी करना हैडपंपों की रिबोरिंग एवं मरम्मत जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण। मौजूदा ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का क्षमता विकास करना²⁵: <ul style="list-style-type: none"> जल संरक्षण में सुधार के लिए विभिन्न सामुदायिक समूहों के मध्य जागरूकता बढ़ाना ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करना/अद्यतन करना और उपलब्ध पानी का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना ताकि विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके 	<ol style="list-style-type: none"> जल निकायों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण जल निकायों का नियमित रखरखाव समुदाय और अन्य हितधारकों के क्षमता विकास का कार्य ग्राम जल सुरक्षा योजना को अद्यतन करना और उपलब्ध पानी का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना 	<ol style="list-style-type: none"> जल निकायों का नियमित रखरखाव ग्राम जल सुरक्षा योजना को अद्यतन करना और उपलब्ध पानी का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 2 तालाबों की सफाई एवं गाद निकालने का कार्य²⁶ 8 कुओं में से गाद निकालने और उनकी मरम्मत का कार्य 4 हैडपंपों की रिबोरिंग 45 हैडपंपों की मरम्मत ट्री गार्ड के साथ 1000 पेड़ों का रोपण (जल निकायों के आसपास) 	<ol style="list-style-type: none"> 2 तालाबों के रखरखाव का कार्य जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ 1000 पेड़ों का रोपण 	<ol style="list-style-type: none"> 2 तालाबों के रखरखाव का कार्य

25 वीडब्ल्यूएससी पुस्तिका, <https://phed.cg.gov.in/sites/default/files/gphandbook-0.pdf>

26 एचआरवीसीए के अनुसार जगनैया तालाब (2 एकड़) और हथगड़ा तालाब (2.5 एकड़)

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> तालाबों की सफ़ाई: ₹14,00,000 कुओं में से गाद निकालने का कार्य; ₹3,80,000 हैंडपंपों की रीबोरिंग: ₹90,000 हैंडपंपों की मरम्मत: ₹1,30,000 जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित स्थानों और जैव विविधता को बढ़ाना" अनुभाग में सम्मिलित है: ₹12,70,000 <p>कुल लागत: ₹20 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> तालाबों के रखरखाव का कार्य ₹7,50,000 जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित स्थानों और जैव विविधता को बढ़ाना" अनुभाग में सम्मिलित है: ₹12,70,000 <p>कुल लागत: ₹7.5 लाख</p>	<p>तालाबों के रखरखाव का कार्य ₹7,50,000</p> <p>कुल लागत: ₹7.5 लाख</p>
--	--	---



नालों के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> नई नालियों का निर्माण मौजूदा नालियों की सफ़ाई, गाद निकालने और मरम्मत का कार्य 	चरण I की गतिविधियां जारी	चरण I की गतिविधियां जारी
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 2 स्थानों में नालियों का निर्माण²⁷ जिनकी कुल लंबाई लगभग 1,500 मीटर है मौजूदा 2 किलोमीटर लंबी नालियों की सफ़ाई और उनसे मिट्टी निकालना 	ग्राम पंचायत में मौजूदा नालियों के नियमित रखरखाव का कार्य	ग्राम पंचायत में मौजूदा नालियों के नियमित रखरखाव का कार्य

²⁷ स्थानों के विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए (HRVCA) देखें

- 1,500 मीटर लंबी नालियों का निर्माण कार्य: ₹11,39,000
 - मौजूदा नालियों की सफ़ाई और उनसे मिट्टी निकालना ₹3,00,000
- कुल लागत: ₹14.39 लाख

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार



वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच)

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण			
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> पंचायत में स्थित सरकारी भवनों (पीआरआई) में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच-RWh) संरचनाओं की स्थापना का कार्य भूजल पुनर्भरण के लिए पुनर्भरण गड्ढों के निर्माण का कार्य सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1,500 वर्ग फुट से अधिक भूखंड के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना चिन्हित जलग्रहण क्षेत्रों (जहां वर्षा का जल एकत्र होता है) में अधिक पुनर्भरण गड्ढों/खाइयों की खुदाई सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1,000 वर्ग फुट से अधिक भूखंड के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> पंचायत में स्थित सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) – भंडारण क्षमता 10 m³ के पुनर्भरण गड्ढों (रीचार्ज पिट) की स्थापना। 5 पुनर्भरण गड्ढों (रीचार्ज पिट) की खुदाई का कार्य²⁸ 	<ol style="list-style-type: none"> 608 पक्के घरों में 10 m³ की औसत क्षमता वाली वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना करना। आवश्यकता के अनुसार अधिक पुनर्भरण गड्ढों (रीचार्ज पिट) की खुदाई का कार्य 	<ol style="list-style-type: none"> 260 पक्के घरों में 10 m³ की औसत क्षमता वाली वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना करना। पुनर्भरण गड्ढों (रीचार्ज पिट) के रखरखाव का कार्य
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> आरडब्ल्यूएच: 5 इकाइयों के लिए ₹1,75,000 पुनर्भरण गड्ढे (रीचार्ज पिट): 5 इकाइयों के लिए ₹1,75,000 <p>कुल लागत: ₹3.5 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> आरडब्ल्यूएच: 608 इकाइयों के लिए ₹2,12,80,000 पुनर्भरण गड्ढे (रीचार्ज पिट): लागत आवश्यकता के अनुसार <p>कुल लागत: ₹2,12,80,000</p>	<p>आरडब्ल्यूएच: 260 इकाइयों के लिए ₹91,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹91 लाख</p>

28 पंचायत में स्थित सरकारी भवनों (पीआरआई) में पुनर्भरण गड्ढों (रीचार्ज पिट) का निर्माण कार्य (ग्राम प्रधान से प्राप्त आदानों के आधार पर)

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान द्वारा उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत यूपी राज्य के वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रखरखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/सीएसआर को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग



2. सतत कृषि

संदर्भ एवं मुद्दे

- भुजपुरा में कृषि क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 239.73 हेक्टेयर है और सकल फसल क्षेत्र लगभग 297 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में लगभग 54% परिवारों की मुख्य आय का स्रोत कृषि है।
- खरीफ़ और रबी सीज़न में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूँ (~63 हेक्टेयर), धान (~46 हेक्टेयर), मक्का (~30 हेक्टेयर), सरसों (~25 हेक्टेयर), लहसुन (~10 हेक्टेयर), आलू (~8 हेक्टेयर) और अन्य फसलें (~29 हेक्टेयर) हैं। इसके अतिरिक्त, यहां के किसान आम की खेती और आम के बागानों का प्रबंधन भी संभालते हैं (~35 हेक्टेयर)।²⁹
- ग्राम पंचायत ने 2018 से 2022 के बीच हर वर्ष सूखे का अनुभव किया, विशेष रूप से जुलाई और अगस्त³⁰ के महीनों में जिससे फसल बर्बाद हो गई और चारे की कमी के कारण किसानों की आजीविका पर भी प्रभाव पड़ा।
- सर्दी में देरी के कारण गेहूँ, सरसों और आलू की बुआई का समय नवंबर से दिसंबर में स्थानांतरित हो गया है।³¹
- वर्ष 2019 से 2022 तक अनियमित वर्षा, भीषण गर्मी के मौसम और बीमारियों के कारण किसानों को फसल की हानि हुई है। यह नुकसान उपज में लगभग 4,590 क्विंटल था (धान, गेहूँ, सरसों, मूंग, अरहर आदि) तथा धनराशि में लगभग 89 लाख रुपये (संबंधित वर्षों के प्रचलित एमएसपी द्वारा समर्थित) था।
- भुजपुरा में किसान प्रति वर्ष ~23 टन यूरिया, ~13 टन डीएपी, और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं जिससे प्रति वर्ष ~42 टन CO₂e ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन होता है। इसके अतिरिक्त, किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशी जैसे अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं। भुजपुरा में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।
- जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में बताया गया है, कृषि में जल के प्रयोग में वृद्धि हुई है, जिसके कारण जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों के उपयोग पर जोर दिये जाने की आवश्यकता है।
- पशुपालन करने वाले परिवारों को खाद प्रबंधन प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं है।³²

उपरोक्त बिंदु अनुकूली क्षमता बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

29 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आदानों के अनुसार

30 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त आदानों के आधार पर

31 ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्रदान की गई जानकारी के अनुसार

32 ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्रदान की गई जानकारी के अनुसार



कृषि के लिए सूखा प्रबंधन

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
1.	ड्रिप सिंचाई और स्पिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म-सिंचाई प्रक्रियाओं का प्रचार करना और अपनाना	1. सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना	1. सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना
2.	खेतों के चारों ओर पेड़ों से मेढबंधी/बंधों का निर्माण	2. मेढबंधी/बंधों का विस्तार करना	2. सूखा सहन करने वाले चावल और गेहूं की किस्मों को अपनाने के लिए चरण II की गतिविधियों का विस्तार करना
3.	फसल में पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए चावल की सूखा प्रतिरोधी किस्म को अपनाना और ड्राई डाइरेक्ट सीडेड राइस को अपनाना	3. अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण करना	
4.	गेहूं की सूखा सहन करने वाली किस्म को अपनाना	4. सूखा सहन करने वाले चावल और गेहूं की किस्मों को अपनाने के लिए चरण II की गतिविधियों का विस्तार करना	
5.	अतिरिक्त क्षेत्र में बाजरा की खेती करना	5. बाजरा और दलहन जैसी अकाल सहने योग्य फसलों सहित फसल परिक्रमण और मिश्रित फसल अपनाना	
6.	जहां संभव हो खेत तालाब बनाकर कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देना	6. जागरूकता बढ़ाने वाले प्रयासों को जारी रखना और किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान करना	
7.	फसलों में आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन ³³ (जैसे, जैविक पुनर्चक्रण, फोलिअर स्प्रे के लिए पोषक तत्व, आदि)		
8.	किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना		

33 सूखा प्रबंधन-पुस्तिका (2020), <https://vedas.sac.gov.in/static/pdf/Drought%20Manual-2020.pdf>

लक्ष्य

1. ~119.5 हेक्टेयर में पेड़ों से मेड़बंदी (कुल कृषि क्षेत्र का 50%)
2. ~35 हेक्टेयर पर फ़ैले आम के बागानों में सूक्ष्म सिंचाई प्रथाएं अपनाया जाना
3. यथासंभव और आवश्यकतानुसार 300 m³ क्षमता के 5-10 कृषि तालाबों का निर्माण करना

1. संपूर्ण कृषि भूमि ~120.2 हेक्टेयर में पेड़ों से मेड़बंदी
2. ~22.7 हेक्टेयर कृषि भूमि में सूक्ष्म-सिंचाई अपनाना (सरसों, टमाटर, फूलगोभी, आलू और मूंगफली के अंतर्गत 50% भूमि)
3. यथासंभव 15-20 कृषि तालाबों का निर्माण

1. ~22.8 हेक्टेयर कृषि भूमि में सूक्ष्म-सिंचाई अपनाना (सरसों, टमाटर, फूलगोभी, आलू और मूंगफली के अंतर्गत 100% भूमि)
2. बांधों और कृषि तालाबों का रखरखाव करना

अनुमानित लागत

1. मेड़बंदी : लगभग ₹1,63,950
 2. सूक्ष्म सिंचाई: ₹35,00,000
 3. कृषि तालाब: ₹4,50,000 से ₹9,00,000
- कुल लागत: ₹31,13,950 से ₹45,63,950

1. मेड़बंदी : लगभग ₹1,64,400
 2. सूक्ष्म सिंचाई: ₹22,70,000
 3. कृषि तालाब: ₹13,50,000 से ₹18,00,000
- कुल लागत: ₹37,84,400 से ₹42,34,400

- सूक्ष्म सिंचाई: ₹22,80,000
कुल लागत: ₹22,80,000



प्राकृतिक खेती अपनाना

चरण



2024-25 से 2026-27

1. जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना।
 - प्रशिक्षण और प्रदर्शन
 - नर्सरी एवं स्थानीय बीज बैंक का विकास
 - जैविक/प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रक्रिया प्रारम्भ करना
 - बाजार संपर्कों का पता लगाया जाना
2. मिश्रित फसल, फसल चक्र, मल्लिंग, जीरो टिलेज जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना



2027-28 से 2029-30

1. कृषि भूमि की प्राकृतिक खेती में परिवर्तन जारी रखना (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणन तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित करना)
2. चरण I में क्रियान्वित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना



2030-31 से 2034-35

1. 100 प्रतिशत कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना
2. एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) के लिए कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के साथ साझेदारी जारी रखना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> सिंचाई की गई भूमि से वाष्पीकरण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मल्लिंग का उपयोग करना आम की खेती के अंतर्गत भूमि के लिए कृषि-पारिस्थितिकी प्रणाली विश्लेषण (एईएसए) आधारित एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम)³⁴ रणनीतियों को बढ़ावा देना 		
<ol style="list-style-type: none"> 36 हेक्टेयर (15 प्रतिशत) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना कृषि-पारिस्थितिकी प्रणाली विश्लेषण (एईएसए) आधारित एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) रणनीतियों पर 58 आम के किसानों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास 	<ol style="list-style-type: none"> 81 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना कृषि-पारिस्थितिकी प्रणाली विश्लेषण (एईएसए) आधारित एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) रणनीतियों का कार्यान्वयन 	<ol style="list-style-type: none"> 122.7 हेक्टेयर (100 प्रतिशत) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) की रणनीतियों के विषय में कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के साथ नियमित साझेदारी जारी रखना
<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹88,95,600 प्रशिक्षण की लागत (एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) की रणनीतियों के विषय में): आवश्यकता के अनुसार कुल लागत: ₹89,55,600 	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ~₹2,00,15,100 कुल लागत: ₹2,00,75,100 	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ~₹3,03,19,170 कुल लागत: ₹3,03,79,170

34 <https://nipm.gov.in/IPMPackages/Mango.pdf>



सतत पशुधन प्रबंधन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित करना पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने संबंधी हस्तक्षेप के लिए अनुभाग "अतिरिक्त संस्तुतियाँ" देखें। 	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> पशुपालन में लगे परिवारों के लिए सतत पशुपालन प्रथाओं, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना 2 पैरा-वेट्स का प्रशिक्षण³⁵ 	<ol style="list-style-type: none"> रोग की रोकथाम और सतत प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> रोग की रोकथाम और सतत प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
अनुमानित लागत	कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उ.प्र. बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और पूर्ण प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।

35 प्रशिक्षण दिए जाने वाले समुदाय आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या ग्राम पंचायत की आवश्यकता पर आधारित है

- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों की सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- स्थापना एवं संचालन ('स्वच्छ, सतत, किफायती एवं विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच' अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप)
 - कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और टिकाऊ पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सहित जलवायु स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- साथ ही भुजपुरा में सतत कृषि करने वाले किसानों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, और अन्य समुदाय के सदस्यों के क्षमता निर्माण का कार्य क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कंपनियों के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- सीआईपीएम (CIPM) - एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र
- मत्स्य पालन विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए)
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)
- जैविक खेती हेतु क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केंद्र, कासगंज



3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में, 1 हेक्टेयर भूमि वन के अंतर्गत है जिसे वन विभाग ने अधिसूचित किया हुआ है।
- भुजपुरा में विद्यालयों के आसपास, तालाब के साथ और पंचायत भवन के निकट कुल 0.5 एकड़ भूमि में मनरेगा के अंतर्गत सामुदायिक वृक्षारोपण किया गया है। वृक्षारोपण गतिविधियों में ज़्यादातर आम, अमरूद, जामुन, अशोक, नीम और पाकड़ पेड़ों का रोपण किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, अधिकतम वृक्षारोपण गतिविधियां जुलाई में की जाती हैं, पिछली गतिविधि 2022 में की गई थी।³⁶

भुजपुरा ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों की जगह बढ़ाने की क्षमता है क्योंकि यह न केवल बढ़ते तापमान में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा अपितु ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार करेगा।

36 ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्रदान की गई जानकारी के अनुसार



हरित आवरण में सुधार

चरण सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<p>1. विभिन्न प्रयासों/पहलों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित वृक्षारोपण गतिविधियाँ³⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> छात्रों के लिए ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम³⁸ (5 छात्र चयनित) समुदाय के सदस्यों में वन संरक्षण और सुरक्षा के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता निर्माण कार्यक्रम 	<p>1. मौजूदा वृक्षारोपण को संरक्षित रखना</p> <p>2. किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना</p>	<p>1. वृक्षारोपण गतिविधियाँ नियमित रूप से करना और जारी रखना</p> <p>2. कृषि-वन पहल के तहत 31 हेक्टेयर (कृषि वन के लिए उपयुक्त भूमि का 100%) भूमि पर कृषि वन की स्थापना</p>
लक्ष्य	<p>आम और लुप्त हो रहे पेड़ों के 1,000 पौधों का रोपण और कम से कम 65% पौधों को जीवित रखना सुनिश्चित करना (ट्री गार्ड के उपयोग से)।</p> <p>रोपित पौधों द्वारा 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 5,600 tCO₂ से 10,000 tCO₂ होना अनुमानित</p>	<p>1. ग्राम पंचायत में सड़कों, रास्तों और जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 1,500 से 2,000 पौधे लगाए जाने का कार्य रोपित पौधों द्वारा 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 9,800 tCO₂ से 17,500 tCO₂ होना अनुमानित</p> <p>2. 12 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी को अपनाया जाना (कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त भूमि का 40%³⁹), 1,200 पौधों को रोपित किए जाने का कार्य 20 वर्षों में सागौन वृक्षारोपण से पृथक्करण क्षमता = 6,720 tCO₂ से 12,000 tCO₂ होना अनुमानित</p>	<p>1. पंचायत में 1,500 से 2,000 पौधे और लगाए जाने का कार्य। रोपित पौधों द्वारा 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 9,800 tCO₂ से 17,500 tCO₂ होना अनुमानित</p> <p>2. कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त शेष भूमि यानी 19 हेक्टेयर भूमि में कृषि-वानिकी को अपनाया जाना और 1,900 पौधों को रोपित किए जाने का कार्य। 20 वर्षों में सागौन वृक्षारोपण से पृथक्करण क्षमता = 10,640 tCO₂ से 19,000 tCO₂ होना अनुमानित</p>

37 अनुलग्नक VI में वृक्षों के नामों की सूची है

38 स्कूली बच्चों से पौधे लगवाए जाएंगे और हर एक कक्षा से छात्र मार्गदर्शकों को चुना जाएगा जो ग्राम पंचायत में अपने जैसे अन्य छात्रों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

39 गेहूं और सब्जियों (31 हेक्टेयर) के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि को कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त माना जाता है।

अनुमानित लागत

<p>वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹12,70,000 कुल लागत: ₹12.7 लाख</p>	<p>1. वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹19,05,000 से ₹25,40,000 2. कृषि-वानिकी गतिविधियाँ: ₹4,80,000 3. रोपित किए गए वृक्षों की देखभाल: ₹1,80,000 कुल लागत: ₹25.65 लाख से ₹32 लाख</p>	<p>1. वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹19,05,000 से ₹25,40,000 2. कृषि-वानिकी गतिविधियाँ: ₹7,60,000 3. रोपित किए गए वृक्षों की देखभाल: ₹1,80,000 कुल लागत: ₹28.45 लाख से ₹34.80 लाख</p>
--	---	--



जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना लोगों में जन जैवविविधता रजिस्टर के प्रति जागरूकता बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना जारी रखना जागरूकता को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना जारी रखना जागरूकता को बढ़ाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) का गठन और क्षमता विकास जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन 	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना
अनुमानित लागत	जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) का गठन और प्रशिक्षण लागत ⁴⁰ : ₹25,000		

⁴⁰ जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उप्र राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उ.प्र. राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
 - » ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
 - » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाया जा सकता है।
 - » वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (ओएसआर) से एकत्र राजस्व।
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग



4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू, सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक स्थानों और वाणिज्यिक क्षेत्रों) से उत्पन्न कुल कचरा⁴¹ लगभग 282 किलो प्रति दिन है। इसमें से 164 किलो प्रति दिन बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा और 118 किलो प्रति दिन गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक कचरा होता है।
- क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का अभाव है।
- भुजपुरा में कृषि और पशु अपशिष्ट की बड़ी मात्रा अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ाती हैं। भुजपुरा ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी 670 है (गाय, भैंस, बकरियां सहित) और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 5.3 टन प्रति दिन है जिसे खाद, वर्मिकम्पोस्टिंग, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से काफी हद तक प्रबंधित किया जा सकता है।⁴²
- ग्राम पंचायत में लगभग 97% घरों में शौचालय है।

इस पृष्ठभूमि में 100% ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

⁴¹ अनुमान पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें

⁴² माना जा रहा है कि गाय प्रति दिन 10 किलो, भैंस प्रति दिन 15 किलो और बकरी प्रति दिन 150 ग्राम गोबर करती है



अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक कचरे के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा स्थापित करना कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन: <ul style="list-style-type: none"> घरों से ग्राम पंचायत स्तरीय भंडारण केंद्र तक चयनित स्थानों (बाजार, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कचरा संग्रहण हेतु कूड़ेदान की स्थापना पंचायत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्क्रेप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच साझेदारी स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए चयनित स्थानों पर कूड़ेदानों की अतिरिक्त स्थापना। ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तर का रखरखाव: पृथक्करण और भंडारण की सुविधा स्थापित मौजूदा कूड़ादानों का रखरखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
	लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> दैनिक कचरा संग्रहण के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन ग्राम पंचायत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत 946 घर (100%) सम्मिलित हैं पंचायत भवन, सार्वजनिक स्थानों, बाजार जैसे रणनीतिक/चयनित स्थानों पर 18 कूड़ेदानों की स्थापना 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> 1 इलेक्ट्रिक वाहन: ₹1,05,000 18 कूड़ादान/कंटेनर: ₹3,50,000 कुल लागत: ₹4.55 लाख	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार



जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 20 वर्मीकम्पोस्ट गड्ढे स्थापित करना पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच साझेदारी स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त खाद गड्ढे स्थापित करना वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त खाद गड्ढे स्थापित करना वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 20 वर्मीकम्पोस्ट गड्ढे स्थापित करना पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल ('आजीविका और हरित उद्यमिता बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से बताया गया है): <ul style="list-style-type: none"> खाद का उत्पादन एवं विक्रय कृषि अपशिष्ट की बिक्री 	<ol style="list-style-type: none"> घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कृषि से निकलने वाले सभी (100%) बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त खाद गड्ढों की स्थापना खाद गड्ढों का रखरखाव साझेदारी बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कृषि से निकलने वाले सभी (100%) बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त खाद गड्ढों की स्थापना खाद गड्ढों का रखरखाव साझेदारी बढ़ाना
अनुमानित लागत	वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों की लागत ⁴³ : ₹4,00,000 कुल लागत: ₹4 लाख	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

43 अनुलग्नक IV देखें



एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> निम्न हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन: <ul style="list-style-type: none"> ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) छात्र एवं युवा समूह समुदाय के सदस्य और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों से उत्पाद बनाने के लिए पंचायत महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बीच साझेदारी मॉडल बनाना ('आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से बताया गया है) 	<ol style="list-style-type: none"> नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
	लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद बनाने में 100-120 महिलाओं को जोड़ा जाना (वर्तमान में एसएचजी से जुड़ी 150 महिलाओं में से) 	<ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध बनाए रखना निम्न को जोड़ते हुए ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों में प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में भागीदारी को बढ़ाना: <ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त 200 महिलाएं अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी



स्वच्छता संबंधी संरचनाओं को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव 	सामुदायिक शौचालय का नियमित रखरखाव	सामुदायिक शौचालय का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 25 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण 1 सामुदायिक शौचालय का रखरखाव 	1 सामुदायिक शौचालय का रखरखाव	1 सामुदायिक शौचालय का रखरखाव
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> व्यक्तिगत शौचालय - ₹3,00,000 सामुदायिक शौचालय का रखरखाव: आवश्यकता के अनुसार कुल लागत: ₹3 लाख	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं, अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण गड्डों, पृथक्करण और भंडारण शेड के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है।
- बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत प्रयासों द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत


- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड और पंचायत-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल प्लांट, पृथक्करण यार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यम, विपणन, अपशिष्ट परिवहन के लिए ई-वाहनों की खरीद आदि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित और संचालित करने में मदद कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक, खाद प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने और व्यक्तिगत स्तर पर टिकाऊ/सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन

महत्वपूर्ण होगा।

- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए टाइड और अनटाइड बजट सहित ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से एकत्र राजस्व का उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड



5. स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

संदर्भ एवं मुद्दे

- भुजपुरा ग्राम पंचायत ने 2022-23 में लगभग 1,33,541 इकाई बिजली की खपत की है। ग्राम पंचायत में 90-95% घरों में बिजली कनेक्शन है, परन्तु जैसा कि समुदाय के सदस्यों द्वारा जानकारी दी गयी है, पंचायत में बिजली की आपूर्ति 24*7 नहीं है। ग्राम पंचायत में प्रतिदिन 10 घंटे तक की बिजली की कटौती होती है।⁴⁴
- बिजली कटौती के कारण, पावर बैकअप के लिए ग्राम पंचायत⁴⁵ में 2 डीजल जनरेटर चल रहे हैं और वे सालाना ~5 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, सिंचाई के लिए 400 डीजल पंपों का उपयोग होता है जो सालाना लगभग 156 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- इंकंडेसेंट लैंप, सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) और अन्य विद्युत स्थिरता और कम दक्षता वाले उपकरण कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं के उपयोग में हैं। साथ ही, ग्राम पंचायत में 280 सोलर स्ट्रीट लाइटों की आवश्यकता है (80 हाई मास्ट लाइट और 200 एलईडी स्ट्रीट लाइट)⁴⁶
- भुजपुरा में केवल 65-70% घर खाना पकाने के लिए रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं जबकि 150 घरों में खाना पकाने के लिए गोबर के उपलों और ईंधन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है⁴⁷। ऐसी स्थिति में, स्वच्छ खाना पकाने के समाधानों में बदलाव की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी अपितु घरों के भीतर की वायु की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी मिलेंगे।
- बढ़ते तापमान के साथ, घरों के भीतर भी तापमान बढ़ रहा है जिसके कारण स्थायी स्थान शीतलन की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत की पहचानी गई ऊर्जा संबंधी समस्याओं/चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में प्रारम्भ किए गए और साथ ही पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022, अन्य, को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए निम्नलिखित समाधान/गतिविधियां भुजपुरा में क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी अपितु ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

44 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

45 क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार

46 ग्राम प्रधान से प्राप्त आदानों के आधार पर

47 क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार



सोलर रूफटॉप स्थापना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	सभी सरकारी इमारतों ⁴⁸ - पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्र में सोलर रूफटॉप की स्थापना	<ol style="list-style-type: none"> सभी नए भवन निर्माणों को सोलर फोटोवोल्टिक के साथ स्थापित किया जाना 186 (40%) पक्के घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित किया जाना 	<ol style="list-style-type: none"> सभी नए भवन निर्माणों को सोलर फोटोवोल्टिक के साथ स्थापित किया जाना शेष 280 घरों में सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक की स्थापना (वर्तमान पक्के घरों का 100%)
लक्ष्य	<p>निम्न सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप स्थापित किया जाना:</p> <ul style="list-style-type: none"> पंचायत भवन (~ 186 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 10 kWp प्राथमिक विद्यालय (~189 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 10 kWp आंगनवाड़ी केंद्र (225 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 10 kWp सामुदायिक भवन (139 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 10 kWp <p>कुल स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप क्षमता: ~40 kWp</p> <p>कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: 53,568 kWh प्रति वर्ष (~147 इकाई प्रति दिन)</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष लगभग 44 tCO₂e</p> <p>हाल ही में शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना के बहुत आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए। छतों पर सोलर फोटोवोल्टिक स्थापना के इस चरण में परिवार भी इसका हिस्सा बन सकते हैं</p>	<p>347 (~40%) पक्के घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित किया जाना⁴⁹</p> <p>स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप की क्षमता: 1,041 kWp</p> <p>कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: 13,94,107 kWh प्रति वर्ष⁵⁰ (~3,819 इकाई प्रति दिन)</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी⁵¹: प्रति वर्ष लगभग 1,143 tCO₂e</p>	<p>521 (~100%) पक्के घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित किया जाना</p> <p>स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप की क्षमता: 1,563 kWp</p> <p>कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: ~20,93,170 kWh प्रति वर्ष⁵² (~5,735 इकाई प्रति दिन)</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष लगभग 1,716 tCO₂e</p>

48 सभी सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप स्थापना की अधिकतम सीमा 10kWh

49 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना गया है; प्रति घर 3 किलोवाट रूफटॉप स्थापना का अनुमान

50 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से दस गुना अधिक है

51 कम हुए उत्सर्जन से ग्राम पंचायत कार्बन न्यूट्रैलिटी प्राप्त करने में सक्षम होगा

52 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से पंद्रह गुना अधिक है

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
अनुमानित लागत	कुल लागत: ₹20,00,000 (₹50,000 /kWp)	कुल लागत: ₹5,20,50,000 सांकेतिक सब्सिडी ⁵³ : ~40 प्रतिशत (राज्य+केंद्र) प्रभावी लागत: ₹3,12,30,000	कुल लागत: ₹7,18,50,000 सांकेतिक सब्सिडी: ~40 प्रतिशत (राज्य+केंद्र) प्रभावी लागत: ₹4,31,10,000



कृषि-फोटोवोल्टिक्स

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	किसान, किसान समूहों, महिला समूहों, आदि के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य।	उपयुक्त कृषि भूमि (बागवानी और दलहन वाली फसलों के अंतर्गत) के भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित किया जाना	उपयुक्त कृषि भूमि (बागवानी और दलहन वाली फसलों के अंतर्गत) के भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित किया जाना
लक्ष्य	किसानों के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन करना	2 हेक्टेयर पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित करना स्थापित कृषि-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 500 kWp बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 6,69,600 kWh (~ 1,835 इकाई प्रति दिन) ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO ₂ e	2 हेक्टेयर पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित करना स्थापित कृषि-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 500 kWp बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 6,69,600 kWh (~ 1,835 इकाई प्रति दिन) ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO ₂ e
अनुमानित लागत	आवश्यकता के अनुसार	कुल लागत: ₹5 करोड़ ⁵⁴	कुल लागत: ₹5 करोड़

53 सब्सिडी परिवर्तनशील है और इनमें समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी की राशी पिछले रुझानों और औसत के आधार पर निर्धारित की गई है और वर्तमान में यह सटीक नहीं भी हो सकती है।

54 प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण कृषि-फोटोवोल्टिक्स की लागत में कमी आ रही है। हालाँकि, उच्च स्तर पर लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अनुमान लगाया गया है कि किसान बागवानी और उस तरह की फसलों के लिए निर्धारित भूमि पर भी फसल चक्र अपनाते हैं। इसलिए, कृषि-फोटोवोल्टिक्स की स्थापना के लिए बागवानी के अंतर्गत उपलब्ध भूमि के एक प्रतिशत पर ही विचार किया गया है



सौर पंप

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<p>80 (20 प्रतिशत) वर्तमान डीज़ल पंप सेटों के स्थान पर सौर पंप लगाना *</p> <p>*यदि सौर पंप संभव नहीं हैं, तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है</p>	<ol style="list-style-type: none"> वर्तमान 200 (कुल 50 प्रतिशत) डीज़ल पंपों के स्थान पर सौर पंप लगाना और 10 ग्रिड से जुड़े विद्युत पंपों का सौर्यीकरण किया जाना सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना 	<ol style="list-style-type: none"> शेष 120 डीज़ल पंपों के स्थान पर सौर पंप लगाना (100% कवरेज) सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना
लक्ष्य	<p>स्थापित कृषि-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 440 kW</p> <p>सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन: 5,89,248 kWh प्रति वर्ष (~1,614 इकाई प्रति दिन)</p> <p>डीजल की खपत में कमी: 31,200 लीटर/वर्ष</p> <p>ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 84 tCO₂e प्रति वर्ष</p>	<p>स्थापित कृषि-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 1100 kW</p> <p>सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन: 14,73,120 kWh प्रति वर्ष (~4,036 इकाई प्रति दिन)</p> <p>डीजल की खपत में कमी: 78,000 लीटर/वर्ष</p> <p>ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 210 tCO₂e प्रति वर्ष</p>	<p>स्थापित कृषि-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 660 kW</p> <p>सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन: 8,83,872 kWh प्रति वर्ष (~2,421 इकाई प्रति दिन)</p> <p>डीजल की खपत में कमी: 46,800 लीटर/वर्ष</p> <p>ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 126 tCO₂e प्रति वर्ष</p>
अनुमानित लागत	<p>कुल लागत: ₹2,40,00,000 से ₹4,00,00,000 (₹3,00,000 से ₹5,00,000/7.5 एचपी सौर पंप)</p> <p>सांकेतिक सब्सिडी: 60 प्रतिशत (राज्य+केंद्र)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹96 लाख से 1.6 करोड़</p>	<p>कुल लागत: ₹6,00,00,000 से ₹10,00,00,000 (₹3,00,000 से ₹5,00,000/7.5 एचपी सौर पंप)</p> <p>सांकेतिक सब्सिडी: 60 प्रतिशत (राज्य+केंद्र)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹2.4 करोड़ से 4 करोड़</p>	<p>कुल लागत: ₹3,60,00,000 से ₹6,00,00,000 (₹3,00,000 से ₹5,00,000/7.5 एचपी सौर पंप)</p> <p>सांकेतिक सब्सिडी: 60 प्रतिशत (राज्य+केंद्र)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹1.44 करोड़ से 2.4 करोड़</p>



रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>सभी नए निर्मित घरों में उन्नत चूल्हे/ सौर ऊर्जा संचालित कुकस्टोव और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र को सम्मिलित किया जाना</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>सभी नए निर्मित घरों में उन्नत चूल्हे/ सौर ऊर्जा संचालित कुकस्टोव और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र को सम्मिलित किया जाना</p>
	<p>परिदृश्य 1: 20 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (फुटनोट) + 926 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 2: 28 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (25 प्रतिशत घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 918 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 3: 28 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (25 प्रतिशत घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 37 घर बेहतर चूल्हों (25 प्रतिशत घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 881 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग</p> <p>इसमें ग्राम पंचायत में रसोई गैस (एलपीजी) का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है</p>	<p>परिदृश्य 1: आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (जिन घरों में मवेशी हैं)</p> <p>परिदृश्य 2: अतिरिक्त 28 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (अतिरिक्त 25 प्रतिशत घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 890 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 3: अतिरिक्त 28 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (अतिरिक्त 25 प्रतिशत घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + अतिरिक्त 37 घर बेहतर चूल्हे का उपयोग (अतिरिक्त 25% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 816 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग</p> <p>इसमें ग्राम पंचायत में शेष घरों में रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग भी सम्मिलित है</p>	<p>परिदृश्य 1: आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (जिन घरों में मवेशी हैं)</p> <p>परिदृश्य 2: अतिरिक्त 57 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (अतिरिक्त 50 प्रतिशत घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 833 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 3: अतिरिक्त 57 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (100 प्रतिशत घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 76 घर बेहतर चूल्हों (100 प्रतिशत घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 683 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग</p> <p>इसमें ग्राम पंचायत में रसोई गैस (एलपीजी) का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है</p>

चरण

अनुमानित लागत

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹10,00,000 (2 से 3 m ³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)	परिदृश्य 1: आवश्यकता के अनुसार लागत (2 से 3 m ³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)	परिदृश्य 1: आवश्यकता के अनुसार लागत (2 से 3 m ³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)	
परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹12,60,000	परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹12,60,000	परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹25,65,000	
परिदृश्य 3: ₹13,71,000 = सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹12,60,000 + ₹1,11,000	परिदृश्य 3: ₹13,71,000 = सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹12,60,000 + ₹1,11,000	परिदृश्य 3: ₹27,93,000 = सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹25,65,000 + ₹2,28,000	
सभी परिदृश्यों में औसत लागत: ₹12,10,300	परिदृश्य 2 और 3 की औसत लागत: ₹13,15,500	परिदृश्य 2 और 3 की औसत लागत: ₹26,79,000	



ऊर्जा दक्षता

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
1. सभी सरकारी/सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक भवनों (प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, सामुदायिक भवन) में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदला जाना	1. घरों में सभी इंकंडेसेंट बल्बों को एलईडी बल्बों से बदला जाना और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाना	सभी घरों में समस्त पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदला जाना	
2. सभी घरों में कम से कम 1 इनकैंडेसेंट/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से बदला जाना अथवा 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना	2. कम से कम 1 पारंपरिक पंखे को ऊर्जा कुशल पंखे से बदला जाना		
3. ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना	3. ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना		

लक्ष्य

- सभी सरकारी भवनों में सभी ट्यूब लाइट और पंखों (लगभग 20 एलईडी ट्यूब लाइट और 14 पंखे) को बदलने का कार्य
- 946 एलईडी बल्बों और 946 एलईडी ट्यूब लाइट लगाया जाना (प्रति घर 1 ऊर्जा कुशल बल्ब/ट्यूब लाइट लगाना)

- सभी घरों में अतिरिक्त 1,892 एलईडी बल्ब और 946 ट्यूब लाइट लगाया जाना (प्रति घर 2 बल्ब और 1 ट्यूब लाइट बदले गए)
- सभी घरों में 946 उर्जा कुशल पंखे लगाया जाना (प्रति घर में 1 पंखा बदला गया)

सभी घरों में 946 उर्जा कुशल पंखे लगाया जाना (प्रति घर में 1 पंखा बदला गया)

अनुमानित लागत

एलईडी (LED) बल्ब की लागत: ₹66,220
 एलईडी (LED) ट्यूब लाइट की लागत: ₹2,12,520
 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹15,540
 कुल लागत: ₹2,94,280

एलईडी (LED) बल्ब की लागत: ₹1,32,440
 एलईडी (LED) ट्यूब लाइट की लागत: ₹2,08,120
 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹10,50,060
 कुल लागत: ₹13,90,620

ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹10,50,060
 कुल लागत: ₹10,50,060



सौर स्ट्रीट लाइटें

चरण

2024-25 से 2026-27



2027-28 से 2029-30



2030-31 से 2034-35

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों में 140 सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइटें स्थापित करना

सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों में 140 सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइटें स्थापित करना

स्ट्रीट लाइटों का नियमित रखरखाव एवं आवश्यकता के अनुसार अधिक स्ट्रीट लाइटों को जोड़ना

लक्ष्य

- प्रमुख स्थानों (प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, खेल के मैदानों, बगीचों, जल निकायों, आदि) पर 40 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट स्थापित करना
- सड़कों और रास्तों के किनारे 100 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना

- प्रमुख स्थानों पर 40 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना⁵⁵
- सड़कों और रास्तों के किनारे 100 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना

स्ट्रीट लाइटों का नियमित रखरखाव एवं आवश्यकता के अनुसार अधिक स्ट्रीट लाइटों को जोड़ना

हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट की लागत:
₹20,00,000
एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत:
₹10,00,000
कुल लागत: ₹30,00,000

हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट की लागत:
₹20,00,000
एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत:
₹10,00,000
कुल लागत: ₹30,00,000

आवश्यकता के अनुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022⁵⁶ प्रदान करती है:
 - » आवासीय क्षेत्र में सोलर लगाए जाने पर सब्सिडी/अनुदान: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रति उपभोक्ता ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹30,000/- तक
 - » संयंत्र की लागत का 3% परामर्श शुल्क के साथ स्वयं या यूपीनेडा के परामर्श से रेस्को⁵⁷मोड में संस्थानों में सौर स्थापना का प्रावधान
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
 - » 3 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप सिस्टम के लिए 40 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाएगी। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सिस्टम के लिए, 40 प्रतिशत की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) केवल पहले 3 किलोवाट क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से ऊपर (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) 20 प्रतिशत तक सीमित होगी।
 - » ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सामान्य सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए रूफटॉप संयंत्र की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) सीएफए 20 प्रतिशत तक सीमित होगी। जीएचएस/आरडब्ल्यूए के लिए प्रति घर क्षमता योग्यता 10 kWp तक सीमित होगी और कुल 500 kWp से अधिक नहीं होगी।
 - » गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप की स्थापना पीएम-सूर्य घर की मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत की जा सकती है⁵⁸। यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए 40% अतिरिक्त सिस्टम लागत प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, अर्थात् 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अनुसार:
 - » पीएम कुसुम योजना का घटक ए, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देता है।
 - » पीएम कुसुम योजना के घटक बी और सी के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप के आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10% की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान किशतों में बैंक को किया जा सकता है।
- उ०प्र० सरकार पीएम कुसुम योजना में योगदान:
 - » घटक सी-1 के अंतर्गत: किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सोलरइजेशन; यह एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त है

56 https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf

57 तृतीय पक्ष (रेस्को मोड) (नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

58 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

- » घटक सी-2 के अंतर्गत: एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलराइजेशन ₹50 लाख प्रति मेगावाट की व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान की जाती है।
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं⁵⁹:
 - » ईईएसएल अपनी स्वयं की लागत पर पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स को एलईडी स्ट्रीटलाइट्स से बदल देते हैं और 7 साल तक एलईडी बल्बों का मुफ्त बदलने और रखरखाव की सुविधा प्रदान करते हैं।
 - » अटल ज्योति योजना और एमएनआरई सोलर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम में 12 वॉट एलईडी और 3 दिन के बैटरी बैकअप के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- ग्राम उजाला योजना⁶⁰:
 - » एलईडी बल्ब ₹10 प्रति बल्ब की किफायती कीमत पर उपलब्ध हैं।
 - » ग्रामीण ग्राहकों को काम करने वाले इंकंडेसेंट बल्बों के बदले 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब तीन साल की वारंटी के साथ दिए जाएंगे
- कोल्ड स्टोरेज स्थापना के लिए सब्सिडी
 - » परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
 - » कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) लागू कर रहा है।
 - » राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) 'बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी' नाम से योजना लागू कर रहा है
 - » प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण बुनियादी ढांचे पर घटक, बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण के लिए 35⁶¹ प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है।
- ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों के लिए बाजार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।
 - » एसबीएम-जी के अंतर्गत गोबरधन योजना क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए प्रति जिले ₹50.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है⁶²।
- यूपी जैव-ऊर्जा नीति 2022⁶³ सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
 - » कंप्रेसड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर ₹75 लाख/टन से लेकर अधिकतम ₹20 करोड़ तक का प्रोत्साहन
 - » विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट
 - » 100% स्टाम्प शुल्क और विद्युत शुल्क से छूट।

59 ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय कार्यक्रम <https://eesindia.org/en/ourslnp/>

60 ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब्स का वितरण किया गया (फरवरी 2023), पीआईबी <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897767>

61 यानी कि कृषि स्तर पर प्री-कूलिंग, वज़न, छंटार्ई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान कोल्ड स्टोरेज, सीए भंडारण, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग इकाइयां

62 <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1883926>

63 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
 - » कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है।
 - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड़ प्रति 12000 m³ /दिन है⁶⁴

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप खरीदने के लिए ऋण हेतु स्थानीय बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सहकारी बैंकों आदि के साथ गठजोड़ का पता लगाना
- कृषि-फोटोवोल्टिक्स के लिए सौर डेवलपर्स के साथ साझेदारी का पता लगाना
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का उपयोग किया जा सकता है:
 - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए रिवोल्विंग निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम सब्सिडी के अतिरिक्त सौर छतों/कृषि-फोटोवोल्टिक्स/ सौर पंपों की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत को कवर करना
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/एसएचजी सदस्यों को 'संचालन और रखरखाव' पर प्रशिक्षण प्रदान करना
 - » सोलर रूफटॉप सौर ऊर्जा (यूपी सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (पीएम-कुसुम, यूपी सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली मौजूदा सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान आयोजित करना

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL)
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

64 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>



6. सतत एवं उन्नत गतिशीलता

संदर्भ एवं मुद्दे

- भुजपुरा में कुल 619 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 600 - दोपहिया वाहन, 5 कारें, 5 जीप, 2 ऑटो और 7 ट्रैक्टर।⁶⁵
- इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 15 ई-रिक्शे और 15 ई-वाहन हैं।
- आईसीई वाहन द्वारा कुल ईंधन खपत इस प्रकार है: प्रति वर्ष ~24 किलो लीटर डीज़ल और प्रति वर्ष ~40 किलो लीटर पेट्रोल। कुल मिलकर, परिवहन सेक्टर द्वारा ईंधन की खपत से 159 tCO₂e से अधिक का उत्सर्जन हुआ है।⁶⁶

इस कारण से, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों में बदलाव की पहल की महत्वपूर्ण संभावना है।



मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	सड़कों द्वारा पहुंच को बेहतर करने के लिए सड़क निर्माण कार्य	आवश्यकता पड़ने पर सड़क के बुनियादी ढांचे का रखरखाव और मरम्मत	आवश्यकता पड़ने पर सड़क के बुनियादी ढांचे का रखरखाव और मरम्मत
लक्ष्य	कुल 650 मीटर लंबे सड़क का निर्माण कार्य ⁶⁷	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे का रखरखाव	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे का रखरखाव
अनुमानित लागत	सड़क निर्माण की लागत: ₹7,60,000 कुल लागत: ₹7.6 लाख	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

65 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आदानों के अनुसार

66 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त आदानों के आधार पर

67 विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें



ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना। उपभोक्ता समूहों (किसानों/संचालन स्वामियों/उद्यमियों) को डीजल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों के दीर्घकालिक लाभ समझाना। ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहनों को किराए पर लेने की सुविधा उपलब्ध करना। 	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।
लक्ष्य	कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहनों का क्रय किया जाना	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना
अनुमानित लागत	5 ई-ट्रैक्टरों की कुल लागत ~₹30,00,000 5 ई-वाणिज्यिक वाहनों की कुल लागत: ₹25,00,000 – 50,00,000 कुल लागत: ₹55 लाख – 80 लाख	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार



मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत में ऑटोरिक्षा को ई-ऑटोरिक्षा से बदलना	पंचायत के प्रत्येक हिस्से में पहुँच बनाने हेतु अधिक ई-ऑटोरिक्षा को क्रय किया जाना	मांग के आधार पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्षा खरीदे जा सकते हैं

लक्ष्य	ग्राम पंचायत के आईपीटी बेड़े में 2 ई-ऑटोरिक्शा का जोड़ा जाना	आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदना	आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदना
	अनुमानित लागत एक ई-ऑटोरिक्शा की लागत ⁶⁸ : लगभग ₹3,00,000 >उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 >2 ई-ऑटोरिक्शा की प्रभावी लागत: ₹5,76,000 ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: 3.6 tCO ₂ e ⁶⁹	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा के समर्थन से सड़क की अवसंरचना की मरम्मत और वृद्धि की जा सकती है।
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 के अनुसार
 - » खरीदारों को 100 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)
 - » 1 वर्ष की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारी को शुरूआती प्रोत्साहन⁷⁰ के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का @10 प्रतिशत; 2-वीलर इलेक्ट्रिक वाहन: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का @15 प्रतिशत ; 3-वीलर इलेक्ट्रिक वाहन: प्रति वाहन ₹12000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का @15 प्रतिशत
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाने और विनिर्माण चरण II (फेम-इंडिया चरण योजना II) योजना के तहत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का भी लाभ उठाया जा सकता है।

अन्य स्रोत:

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और स्वयं की आय के स्रोत (ओएसआर)
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) समर्थन के साथ बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों से ऋण

प्रमुख विभाग

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)

68 ई-ऑटोरिक्शा की लागत अन्य विशेषताओं सहित कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार, आदी के आधार पर होती है - 1,50,000 रुपए - 4,00,000 रुपए या इससे अधिक परोपकार और अन्य फंडिंग एजेंसियों से प्राप्त संभावित सब्सिडी/अनुदान/प्रारंभिक पूंजी/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखकर ई-ऑटोरिक्शा की कीमत प्राइस बैंड के मध्य में माना जा रहा है

69 समुदाय से प्राप्त आदानों के आधार पर प्रति ऑटोरिक्शा से 1.80 tCO₂ ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी आई। डीज़ल ऑटोरिक्शा के स्थान पर ई-ऑटोरिक्शा आने से इस उत्सर्जन में गिरावट आएगी और इस तरह ग्राम पंचायत कार्बन न्यूट्रल या यहाँ तक कि कार्बन नेगेटिव भी बन सकता है।

70 सरकारी सब्सिडी में समय-समय पर सब्सिडी की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों के आधार पर परिवर्तन आते हैं। इसलिए, इस कार्ययोजना के किसी भी अनुभाग में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक है, और वास्तविक खरीदारी के समय इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है।



7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

कृषि और दिहाड़ी मजदूरी इस ग्राम पंचायत की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं और लगभग 90 प्रतिशत से अधिक परिवार इनसे जुड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों में आजीविका संबंधी अनिश्चितता है, जिनका कारण विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन तथा वर्तमान में की जाने वाली अरक्षणीय उत्पादन प्रथाएं हैं। इसके परिणामस्वरूप, आबादी का एक बड़ा भाग अनिश्चितता में फंसा हुआ है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य प्रमुख स्रोत पशुपालन और स्थानीय व्यवसाय/दुकानें चलाना हैं। पिछले 5 वर्षों में 52 ग्राम निवासी बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से पलायन कर गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

वर्तमान में, उल्लिखित गतिविधियों के अतिरिक्त, ग्राम पंचायत के भीतर नौकरियों के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित संस्तुतियां आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए दिशा प्रदान करती हैं, जिनके विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत हैं:



सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियां

1. प्लास्टिक के अलावा अन्य सामग्रियों से उत्पादों का निर्माण करने के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों का योगदान प्राप्त करना (थैले, घर सजाने का सामान, पेंसिल, छुरी-कांटा, कापियां, फर्नीचर, आदि)
2. क्षमता निर्माण:
 - उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण
 - ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

प्रारंभिक सहभागिता में:

- 100 महिलाएं
- 8 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)
- ग्राम पंचायत में उगाए गए कच्चे माल जैसे बांस का उपयोग करना

ग्राम पंचायत और आसपास के गावों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करना

- अतिरिक्त 200 महिलाएं
- अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी

लक्ष्य



जैविक कचरे को खाद बनाकर उसे उर्वरक के रूप में बेचना

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता विकास
 - खाद और वर्मी-खाद बनाने की तकनीक
 - ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

तत्काल लक्ष्य

घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पन्न खाद: प्रति दिन 282 किलो; प्रति माह 8,460 किलो
(वर्तमान में उत्पन्न होने वाले कचरे के अनुसार)

दीर्घकालिक लक्ष्य:

जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार खाद उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)

लक्ष्य



मौजूदा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के संचालन में सुधार लाना

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) में आम के किसानों को सम्मिलित करना
2. निम्न उद्देश्यों के लिए आम के किसानों का क्षमता विकास करना:
 - पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना (एकीकृत कीट प्रबंधन रणनीतियाँ और कुशल जल प्रबंधन तकनीक)
 - आम की गुणवत्ता बढ़ाना
3. फ़सल कटाई के बाद फ़ल प्रबंधन को बढ़ाना
4. मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ साझेदारी स्थापित करना:
 - सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का प्रधान मंत्री औपचारिकरण (पीएमएफ़एमई) के अंतर्गत आम का गूदा (पल्प)/रस बनाने की इकाइयों की स्थापना करना
 - सर्कुलर अर्थव्यवस्था अपशिष्ट परिवर्तन कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना जिसके अंतर्गत फ़लों के छिलकों और गुठलियों का उपयोग कर खाद, पेक्टिन और ईट बनाना¹
5. आम और आम के उत्पादों के बाज़ार संपर्क को बढ़ाना

तत्काल लक्ष्य

- आम के प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए संग्रहण केंद्र की स्थापना करना
- आम² और आम के मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए बाज़ार संपर्क

दीर्घकालिक लक्ष्य:

- प्रभावी प्रबंधन द्वारा एफ़पीओ संचालन को बढ़ाना और सतत प्रथाओं द्वारा किसानों की आय में सुधार लाना

**ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा**

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर को वाणिज्यिक किराए पर लेने की सुविधा (किराये के आधार पर) यूपी ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करती है।
2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों) को संवेदनशील बनाना

तत्काल लक्ष्य

1. 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: ₹6 लाख प्रति ई-ट्रैक्टर)
2. 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)

मध्यावधि लक्ष्य:

अतिरिक्त 2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 इलेक्ट्रिक वाहन मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रक

(ध्यान दें: यह माना जा रहा है कि भुजपुरा में 35 HP ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है जिसकी कीमत प्रायः 6 लाख रुपए है)

**सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार**

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों के भीतर) को सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज में जगह किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर उत्पन्न करना
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच बिजनेस/व्यवसाय मॉडल/गठजोड़

5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (मीट्रिक टन क्षमता सब्जियों और फलों/और/या दूध उत्पादों के उत्पादन के आधार पर)(1,300 टन से अधिक आम का उत्पादन)
(आम और सब्जियों के फ़सलों के अंतर्गत ~46 हेक्टेयर सकल फसल क्षेत्र)
लगत: लगभग ₹8,00,000 से ₹15,00,000



विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सोलर और बायो-गैस) का संचालन एवं रखरखाव

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव पर कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास।
2. ग्राम पंचायत के भीतर सोलर और बायो-गैस स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव व्यवसायों की स्थापना में सीएसआर, केंद्र और राज्य सरकार की अपस्किनिंग योजनाओं से सहायता

वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमिता और आजीविका का समर्थन करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से); सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि महिला उद्यमियों का समर्थन कर सकती हैं
- सहायक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक कौशल विकास प्रदान किया जाना जैसे: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) (DST) राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम और मेक इन इंडिया

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 73,74,75:

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक प्रकाश यानी बिजली से चलने वाले बल्ब, ट्यूबलाइट आदि को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- घरों में जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी) करना चाहिए।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

73 https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

74 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

75 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁷⁶, थार रेगिस्तान, राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए निर्माण किया गया है जिस में प्रमुख रूप से निम्लिखित उपायो का उपयोग किया गया है :

- धर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁷⁷:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र⁷⁸:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

76 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

77 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

78 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्क्रुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, बठिंडा और तरनतारन, पंजाब^{79,80}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेडों जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

निर्मल गुजरात अभियान⁸¹

- गुजरात के हिम्मतनगर में पशु छात्रावास गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु छात्रावास) में बायोगैस और वर्मिकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मिकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)⁸²" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना" है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशल्य द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर⁸³

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया।

79 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

80 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

81 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

82 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/csssscspccc>

83 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया ।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) 12-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण

- इन सम्पूरको के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁸⁴।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹ 6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रॉक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में ⁸⁵

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

84 भारतीय कृषि परिषद के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

85 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना ⁸⁶

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एपिफिसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्य योजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁸⁷

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे एवं स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

⁸⁶ <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

⁸⁷ <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁸⁸

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाज़ार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में⁸⁹

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

88 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

89 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹⁰
क. जल निकायों का पुनरुद्धार एवं संरक्षण 	<ul style="list-style-type: none"> प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है बेहतर भूजल पुनर्भरण पानी की गुणवत्ता में वृद्धि 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.1 लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 6.5
ख. नालों के बुनियादी ढांचो का सुदृढीकरण 	<ul style="list-style-type: none"> सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा 	एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.4 एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2
ग. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) 		एसडीजी 15: भूमि पर जीवन <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.5



90 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुबंध V में दी गई है

सतत कृषि

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. कृषि के लिए सूखा प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि⁹¹ मृदा स्वास्थ्य में सुधार रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार कृषि जल सुरक्षा में सुधार शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई 	<p>एसडीजी 2: शून्य भूख</p> <ul style="list-style-type: none"> एसडीजी 2: शून्य भूख लक्ष्य 2.3 लक्ष्य 2.4 लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 13.1 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ख. प्राकृतिक खेती अपनाना</p> 		
<p>ग. सतत पशुधन प्रबंधन</p> 		   

91 पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. हरित आवरण में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी 	<p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4
<p>ख. जन जैवविविधता रजिस्टर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.2 लक्ष्य 15.3 लक्ष्य 15.5 लक्ष्य 15.9



सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलभराव में कमी जल और भूमि प्रदूषण में कमी/ बेहतर स्वच्छता 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9 <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8
<p>ख. जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन सतत कृषि के लिए उन्नत आदान अपशिष्ट आधारित कृषि सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
<p>ग. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 		<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8
<p>घ. स्वच्छता सम्बन्धी संरचनाओं को बढ़ाना</p> 		<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1




स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सोलर रूफटॉप स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा सुरक्षा उष्ण आराम आजीविका के उन्नत विकल्प अतिरिक्त राजस्व सृजन 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छ ता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 <p>एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.a लक्ष्य 7.b
<p>ख. कृषि-फोटोवोल्टिक्स</p> 	<ul style="list-style-type: none"> उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी 	<p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
<p>ग. सौर पंप</p> 	<ul style="list-style-type: none"> चुकौती/पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ घरों के अंदर वायु प्रदूषण में कमी 	<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग</p> 	<ul style="list-style-type: none"> सभी के स्वास्थ्य, मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है 	
<p>ड. ऊर्जा दक्षता</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि 	
<p>च. सौर स्ट्रीट लाइटें</p> 		



सतत एवं उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार जोखिम वाले और कमज़ोर व्यक्तियों के लिए बेहतर पहुंच अतिरिक्त राजस्व सृजन 	<p>एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.2 <p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.2 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
<p>ख. ई-वाहन और ई ट्रेक्टर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के माध्यम से लचीलेपान में सुधार 	<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ग. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन</p> 		   

आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कच्चे माल के माध्यम से आजीविका के उन्नत विकल्प जल और भूमि प्रदूषण में कमी सतत कृषि के लिए उन्नत आदान 	<p>एसडीजी 5: लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 5.5
<p>ख. जैविक कचरे को खाद बनाकर उसे उर्वरक के रूप में बेचना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3
<p>ग. मौजूदा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के संचालन में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8
<p>घ. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि 	<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ड. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार</p> 		
<p>च. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सोलर और बायो-गैस) का संचालन एवं रखरखाव</p> 		



कार्यान्वयन में प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियों/अनुशंसाओं से भुजपुरा के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। भुजपुरा के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर भुजपुरा को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, भुजपुरा जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और कार्यान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के क्रियान्वयन के बाद, नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही भुजपुरा को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ़ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के तहत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया⁹²। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

भुजपुरा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना⁹³ का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रूप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

92 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

93 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रशावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ़ील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: : मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।
- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हितधारकों को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाते जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
 - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
 - » भुजपुरा ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें क्लाइमेट-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक II: प्रश्नावली



उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत :

भुजपुरा

विकासखण्ड :

सिद्धपुरा

जनपद :

कासगंज

I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत- समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	1 भुजपुरा
2	टोलों की संख्या	2 नगला भुजपुरा
3	a कुल जनसंख्या	3525
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	1884
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	1641
	d विकलांगजन की जनसंख्या	25
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	882
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	326
4	कुल परिवार की संख्या	946 परिवार
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	400 बीपीएल, 61 अनतोदय=461
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	274.673 हे०
6	a साक्षरता दर	92.5 %
7	a पक्का घरों की संख्या	868
b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	78 - फूस के घर 20 - प्लास्टिक 15 - मिट्टी वाली 43



II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	373	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	186	
	अनुबंध खेती	0	
	दिहाड़ी मजदूर	146	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	159	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	82	
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	11	
	कुटीर उद्योग	5	
	कृषि	509	
	कला/हस्तकला	18	
	पशुपालन	20	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	37	
	व्यवसाय/उद्यम	0	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	346	
	अन्य	0	
10	पलायन	हां	नहीं
	a क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b पलायन करने वाले स्थान	पिछले पांच वर्षों में पलायन करने वाले परिवार/व्यक्तिगत की संख्या	कृषि भूमि निरन्तर कम होते जाने के कारण तथा आय का अन्य कोई स्रोत न होने के कारण गाँव से लोग अन्य शहरों में पलायन कर रहे हैं।
	अन्य गांव		0
	निकट के शहर	37	37
	राज्य के प्रमुख शहर	15	15
	देश के प्रमुख महानगर		0
	c	हां	नहीं



	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d	पिछले पांच वर्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	0	


11		महिलाओं की स्थिति	
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	80	
b	खेती में कार्यरत महिला		कुल संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	8	
	किराए की <u>भूमि/हुण्डा</u>	12	
	अनुबंध खेती	0	
	दिहाड़ी मजदूर	40	
	अन्य व्यवस्था	5	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	15	
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं		कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	7	
	कुटीर उद्योग	2	
	कृषि	8	
	कला/हस्तकला	15	
	पशुपालन	16	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	2	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	30	
	अन्य	0	



स्वयं सहायता समूहों				
स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (₹0)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
Kokila SHG	12	कोई गतिविधि नहीं	14400	हां
Sangathan SHG	11	कोई गतिविधि नहीं	14400	हां
Jay Ganesh SHG	10	कोई गतिविधि नहीं	14400	हां
Jay Bhole SHG	10	कोई गतिविधि नहीं	7200	हां
Atmraksha SHG	12	कोई गतिविधि नहीं	14400	हां
Hanuman SHG	10	कोई गतिविधि नहीं	14400	हां
Kanha SHG	10	कोई गतिविधि नहीं	7200	हां
Man Durga SHG	10	कोई गतिविधि नहीं	7200	हां

कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) NA					
एफ0पी0ओ0का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं?	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की संख्या	एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियां/ गतिविधियों का क्षेत्र
Nill	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				

अन्य समुदाय आधारित संगठन/					
सामाजिक संगठन/ समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन/समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व/बचत	उत्पाद/सेवा	विपणन/लक्षित उपभोगकर्ता
Pradhan Jan Sewa Samiti	No <input type="checkbox"/>	15	NA	0	0





		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				

15 योजनाएं						
a	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रु०)	अन्य कोई बकाया (रु०)	की गई गतिविधियाँ / कार्य
	मनरेगा	875	795	3100000	NA	कच्चा कार्य व पक्का कार्य
	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.	554	554			राशन वितरण
	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	554	504			गैस चूल्हा वितरण
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	15	15			पाइप वितरण
	प्रधान मंत्री कुसुम योजना	NA				
b	अन्य योजनाएं					
	ग्राम उज्जवला योजना	NA				
	ऊर्जा दक्षता योजना	NA				
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	NA				
	प्रधानमंत्री आवास योजना	61	0	0	0	0
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०)	554	523			राशन वितरण
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	NA				
	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	NA				
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	NA				
	मौसम आधारित फसल बीमा	NA				
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	NA				





	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	50	30			
	किसान क्रेडिट कार्ड	137	137			
	स्वच्छ भारत मिशन	450	450			
	सौर सिंचाई पम्प योजना	NA				
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	NA				
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	NA				
	गोवर्धन योजना	NA				
	जल पुनर्भरण योजना	NA				
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	1	1			पंचायत भवन
	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	NA				
	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	NA				
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	NA				
	उद्यमितता सहायित योजनाएं आदि	NA				

16	सक्रिय बैंक खाता धारकों की संख्या	120
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	70

18	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/कृषि केन्द्र का उपयोग होता है	यदि नहीं, तो बाजार/ केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल (कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
		हां	नहीं			





4	कापरेटिव सहकारिता समिति, सिद्धपुरा	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		6000 कु0 गेहूं	1500 कु0	8 कि0मी0
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

19		शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)				
	प्रकार/ स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आऊट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आऊट के मुख्य कारण (स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य- (4) उल्लेख करें)	
a	प्राथमिक विद्यालय	477.33	128	0		
b	जू0 हाई स्कूल	530.33	105	0		
c	हाई स्कूल	NA				
d	अन्य संस्थान	NA				





20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	Null				

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
1	कासगंज ऐटा रोड	1	15 KM.	2

III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
A	वन का क्षेत्र	1 हे0
B	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	1 हे0
C	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	1 एकड़
D	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	0.5 एकड़
E	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	नहीं
F	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	05



23		अन्य भूमि का वर्गीकरण		
A	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	2.5 हे0		
B	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	1.5 हे0		
C	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	आच्छादित क्षेत्रफल
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	NA		
	अतिरिक्त सूचनाएं			

24		जल निकाय क्षेत्र		
	विवरण	हां	नहीं	
A	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	2		
C	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	0		
E	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	NA		

25		जल आपूर्ति		
a	ग्राम पंचायत में घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल—(2) भूमिगत जल—(3) तालाब/झील—(4) अन्य— (5)	3		
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी		



c	<p>घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है?</p> <p>पाइप जलापूर्ति (1)</p> <p>ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2)</p> <p>पानी टंकी (3)</p> <p>महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4)</p> <p>हैण्डपम्प (5)</p> <p>ऊँचा सतही जलाशय (6)</p> <p>कूआ (7)</p> <p>अन्य (8), उल्लेखित करें।</p> <p>अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?</p>	5
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	0
e	क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	0
f	<p>पाइप जलापूर्ति की नियमितता</p> <p>24× 7 घण्टे (1)</p> <p>काफी नियमित (2)</p> <p>अनियमित (3)</p>	0
g	<p>ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है?</p> <p>नहर (1)</p> <p>वर्षा जल (2)</p> <p>भूमिगत जल – (नलकूप (3 A), कूआ (3 B))</p> <p>तालाब/झील (4)</p> <p>पानी टैंक (5)</p> <p>नदी (6)</p> <p>अन्य (7)</p>	1 3 A 4
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?	...





j	<p>अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू, कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है)</p> <p>क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया?</p> <p>क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?</p>	<p>बढ़ी</p> <p>हाँ</p> <p>NA</p>
---	--	----------------------------------





IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
26				
a	गर्मी के माह में देखा गया	तापमान बढ़ा, वर्षा में कमी		
b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि <input checked="" type="checkbox"/>	गर्म दिनों में कमी <input type="checkbox"/>	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	60 दिन		
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)			
27				
a	सर्दी के माह में महसूस किया गया			
b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	ठण्ड दिनों में कमी <input checked="" type="checkbox"/>	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	30 दिन		
d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)			
28				
a	मानसून माह में महसूस किया गया			
b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कमी <input checked="" type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	60 दिन		
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)			
29				
a	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कमी <input checked="" type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि <input checked="" type="checkbox"/>	वर्षा दिनों में कमी <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	7 दिन		
d	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कमी <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>



		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	दिनों की संख्या	5 दिन		
f	अन्य सूचनाएँ/जानकारी			





चरम मौसम की घटनाएं

30 सूखा						
a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>
b	किस माह में सूखा देखा गया	Sep.	Aug.	Sep.	Sep.	July
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन निजी हैण्डपम्प के बोरिंग को गहरा कराकर।			कृषि स्तर पर प्रबन्धन निजी नलकूप बनबाकर पम्पसेट से भूमिगत जल निकासी की व्यवस्था।	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	0				
31 बाढ़						
	बाढ़ की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
	केवल जलजमाव होता है। नहर के पानी के कारण जलजमाव ही बाढ़ का रूप धारण कर लेता है।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में बाढ़ देखा गया	0	0	0	0	0
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन 0			कृषि स्तर पर प्रबन्धन 0	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>		





e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	0				
32 भूस्खलन						
a	भूस्खलन की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई	0	0	0	0	0
c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन 0			कृषि स्तर पर प्रबन्धन 0	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
33 ओलावृष्टि						
a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई			Feb.	Jan.	Aug.
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन 0 पशुओं को अंदर छाया में बांध लेते हैं।			कृषि स्तर पर प्रबन्धन कोई प्रबन्धन नहीं करते हैं।	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		





34 फसलों के कीट/बीमारी						
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?	July	May/June	June	June	July
c	किस प्रकार के कीट/बीमारी को देखा गया?	सूड़ी (कैटरपिलर) व रसचूसक टिड्डा	सूड़ी (कैटरपिलर) व रसचूसक टिड्डा	सूड़ी (कैटरपिलर) व रसचूसक टिड्डा	सूड़ी (कैटरपिलर) व रसचूसक टिड्डा	सूड़ी (कैटरपिलर) व रसचूसक टिड्डा
d	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	निजी सहायता- किसान कीटनाशक दवा का प्रयोग स्वयं खरीदकर करते हैं				
e	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं					

35 ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी					
		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध हैं?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?	
	आपदा तैयारी के उपाय	हां	नहीं	हां	नहीं
	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमी चेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	आपातकाल अनाज बैंक	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	अन्य	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36 अनाज भण्डारण	
a	ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?
	अनाज (विवरण दें) 0





	तेल	0
	चीनी	0
	अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	0
b	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	0

37	ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत	
	स्थानीय कृषि अधिकारी
	समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	√
	मोबाईल फोन/एप	√
	मौखिक	√
	कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र
	पशुपालन विभाग
	उद्यान विभाग
	अन्य	

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)						
38	फसल हानि					
a	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी (2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम— गर्मी, ठण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत रु०)
	प्रथम वर्ष (2022)	खरीफ (1) रबी (2)	मूंग, मक्का, आम, धान, अरहर	रोग—झुलसा, खैरा	300 1200 150 1500 20	15,00000 6000000 450000 2100000 120000
	द्वितीय वर्ष (2021)	खरीफ (1)	धान,	रोग—झुलसा, सूड़ी	500	725000
	तृतीय वर्ष (2020)	खरीफ (1)	धान, अरबी	वर्षा	600 20	810000 4000





	चतुर्थ वर्ष (2019)		गेहूँ	रोग-झुलसा,	300	4200000
	पंचवां वर्ष (2018)					
b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी- बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?					





39 फसल पद्धति में बदलाव					
a	सामान्य फसल	खरीफ धान, अरबी	रबी गेहूँ, मटर, तम्बाकू, सरसों, आलू	जायद/अन्य ऋतु	
b	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है/देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
	धान	जून, जुलाई	नहीं	-----	-----
	अरहर	मई	नहीं	मई	नहीं
	गेहूँ, मटर	अक्टूबर, नवम्बर	1 वर्ष पहले से ऐसा देखा जा रहा है	नवम्बर, दिसम्बर	धान की फसल समय से न कट पाना।
	तम्बाकू	दिसम्बर	नहीं	दिसम्बर	नहीं
	लहसुन	नवम्बर	नहीं	नवम्बर	नहीं
	चाकोरी	दिसम्बर, जनवरी	नहीं	दिसम्बर, जनवरी	नहीं
	सरसों, लाही, घूईयां, आलू	अक्टूबर, नवम्बर	हाँ	नवम्बर, दिसम्बर	निचले स्थानों पर जलजमाव
c	अन्य सूचना/जानकारी (विलुप्त फसल/प्रजाति आदि उल्लेख करें)	मसूर, चना			

40 सिंचाई प्रणाली/पद्धति में परिवर्तन					
a	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)	पूर्व में सिंचाई विधि/पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)
	गेहूँ, मटर, सरसों, आलू, लहसुन, तम्बाकू	नहर 3 निजी नलकूप 6	नहर फ्री 1500/हे0	नहर, 3 वर्षा आधारित, 4	नहर फ्री



b	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प		पारम्परिक सिंचाई विधियां
		400	10	0		नहर
c	अन्य सूचनाएं/जानकारी अगर कोई है					
41 पशु पालन/पशुधन						
a	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य- स्पष्ट करें (6)		1			
b	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	0				
	द्वितीय वर्ष (2021)	भैंस	2	बिजली गिरना	जुलाई	कमी
	तृतीय वर्ष (2020)	भैंस	5	रोग	सर्दी 2 वर्षा 3	कमी
	चतुर्थ वर्ष (2019)	भैंस	10	रोग	वर्षा	कमी
	पंचम वर्ष (2018)	0	0			
	अन्य जानकारी/सूचनाएं					
c	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2)	पक्षी हानि की संख्या	हानि के कारण	हानि के मौसम/ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है?



		अन्य (3)	(प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	0				
	द्वितीय वर्ष (2021)	0				
	तृतीय वर्ष (2020)	0				
	चतुर्थ वर्ष (2019)	0				
	पंचम वर्ष (2018))	0				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं					
v	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)	
	प्रथम वर्ष (2022)	0				
	द्वितीय वर्ष (2021)	0				



V. कृषि व पशुपालन

प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी

42	a	उर्वरक उपयोग				कीटनाशक उपयोग			खरपतवारनाशी				
		फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु / मौसम	उपज (कु0)	उर्वरक के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा0 / एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/ एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवार नाशी के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/ एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)
		तिलहन	Oct Sep Oct	7.68कुंतल प्रति एकड़ 4.56कुंतल प्रति एकड़ 23.20कुंतल प्रति एकड़	Urea DAP Zink Potash Phosphorus	60 kg. 50 kg. 15 kg. 30 kg 40 kg	1	मिथाइल डाइक्लोर करोरिना रोकेट लारा बेन्जोनाईट	300- 500 MI	1	अल्ट्राजिन किट लाडिस मेडा 71	500 ML to 600 ML	1
		दलहन गेंहू											
	b	क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाये जाते हैं	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल (एकड़)	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में जलाये जाते थे	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते/ जागरूक है?					



			✓	हैं	सन् 2020 से पहले जलाई जाते थे	हैं
--	--	--	---	-----	-------------------------------	-----



43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां नहीं				
फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (₹0/कुन्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित / सत्यापित

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती) नहीं			
फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मलिन्यां, फसल चक्र, अन्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसले, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)



45	कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां	पौध रोपण गतिविधियों के प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल	स्थान	योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6)– उल्लेख करें	मोनोक्लचर (1), मिश्रित प्रजाति (2)	रोपित प्रजाति यां	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुंच/अवसर	पिछले 10 वर्षों में पहुंच/अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन के कारण– लाभ में वृद्धि (1), लाभ में कमी (2) प्रजाति सम्बन्धित (3), वन उन्मूलन (4) अन्य (5)– उल्लेख करें
	अमरुद	2	डिसमिल	नाला के किनारे	मनरेगा (4)	(2)	-	12/7/22		No	NA	NA
	जामुन	2	डिसमिल	तालाब के किनारे	मनरेगा (4)	(2)	-	12/7/22		No	NA	NA
	आम	2	डिसमिल	नाला के किनारे	मनरेगा (4)	(2)	-	12/7/22		No	NA	NA
	पीपल	10	-	तालाब के किनारे, गांव	मनरेगा (4)	(2)	-	12/7/22		No	NA	NA
	नीम	15	-	गांव, तालाब	मनरेगा (4)	(2)	-	12/7/22		No	NA	NA
	पाकड़	10	-	स्कूल	मनरेगा (4)	(2)	-	12/7/22		No	NA	NA



अर्जुन 10	-	स्कूल	मनरेगा (4)	(2)	-	12/7/22	No	NA	NA
अशोक 10	-	स्कूल, पंचायत घर	मनरेगा (4)	(2)		12/7/22	No	NA	NA



46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक				
पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन (प्रतिमाह / बेचते पर)	
गाय (देशी नस्ल)	40	पशुआहार, खुले में चराई	5000	
गाय (संकर नस्ल)	10	पशुआहार, खुले में चराई	6000	
भैंस (देशी नस्ल)	250	पशुआहार, खुले में चराई	8000	
भैंस (संकर नस्ल)	70	पशुआहार, खुले में चराई	10000	
बकरी	300	खुले में चराई	2400	
सुअर	20	खुले में चराई	2500	
मुर्गी	0		0	
मत्स्य	0		0	
अन्य	0		0	

VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47 जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)							
a	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
c	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	साफ
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन/फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





48 ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन							
a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा	2 किलो					
b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा करते हैं?	कचरा गाडी (ठिलिया)के माध्यम से					
c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input checked="" type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन			
		हाँ	नहीं				
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहाँ कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हाँ तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति		500 मी	
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	कुछ लोग कूड़ा जला देते हैं।

49 खुले में शौच मुक्त स्थिति				
a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं	
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100 परिवार
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>	प्रमुख स्थान – पंचायत घर के पास
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हाँ		
e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)			





50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	√ <input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	70 ली० प्रति घर प्रति दिन	0	0	1000 L	
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	नहीं				
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो-	0				

51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा			
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	आंगनवाड़ी	√ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	224
e	आशा	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

52	रोग/बीमारी								
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	30	5	20	5	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्रा० अस्पताल
b	जल-जनित रोग (हैजा/डायरिया/टाईफाइड/हैपेटाइटिस आदि)	20	15	5	0	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्रा० अस्पताल
c	श्वस सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	60	30	10	20	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्रा० अस्पताल
d	कुपोषण	10	10			No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANM





VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	288
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	285
	ए0सी0	5
	एयर कुलर	200
	रेफ्रिजरेटर/फ्रीज	80

54 विद्युत कटौती की आवृत्ति		
a	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	विद्युत कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	10 घंटे
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	-----

55 वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?		
	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता/उतार-चढ़ाव नहीं	<input type="checkbox"/>

56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
	डीजल चलित जेनरेटर	2
	सौर उर्जा	0
	इमरजेंसी लाईट	सभी लोग
	इन्टवर्टर्स	200
	अन्य साधन (उल्लेख करें)	मोमबत्ती, दीपक





57 नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा के स्रोत			
a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	0	
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	0	
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	0	
	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	2	1/2 किलोवाट
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	0	
	सौर स्ट्रीट लाइट	0	
	बायोगैस	0	
	विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	0	
b	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	0	

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	150	300 किलो
	बायोगैस	0	0
	एलपीजी गैस	450	10 किलो
	विद्युत	0	0
	सौर उर्जा	0	0
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	0	0
59	वाहन की संख्या		





	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	जीप	5	डीजल, पेट्रोल, गैस	20 किमी
b	कार	5	डीजल, पेट्रोल, गैस	20 किमी
c	दो पहिया वाहन	600	पेट्रोल	10 किमी
d	विद्युत चालित वाहन	15	विद्युत	30 किमी
e	आटो	2	डीजल	60 किमी
f	ई-रिक्शा	15	विद्युत	30 किमी
g	अन्य			

60	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	टैक्टर	7	डीजल	50
b	कम्बाईन हारवेस्टर	0
c	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	बैलगाड़ी 4	चारा	..

61 ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है) – नहीं											
	ईंधन के प्रकार	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति वाले गांव की संख्या	कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/अवधि का उल्लेख करें)							
				टैक्टर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा	अन्य
a		Nil									
b											

62 औद्योगिक इकाई – नहीं	





उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)



अनुलग्नक III: एचआरवीसीए रिपोर्ट

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास

योजनावर्ष—

ग्राम पंचायत— भुजपुरा

विकासखण्ड—सिद्धपुरा जनपद—कासगंज(उ.प्र.)



ग्रामस्वरान्य मिशन आश्रम

ग्राम व पो०-बंगबहादुरगंज(बस्सेरिया गाट)

मिला-सखीमपुर सीटी(उ.प्र.)-२६१५०५

Email: gramia111@gmail.com, gramia2008@yahoo.com

Mob.-+91-9450376602, +91-8090304595

ग्राम पंचायत भुजपुरा

भुजपुरा गांव जनपद मुख्यालय कासगंज से 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा है तथा गांव से विकास भवन की दूरी लगभग 43 किलोमीटर है। गांव से बाहर आवागमन हेतु सिद्धपुरा से धुमरी रोड तथा अलीगंज ऐटा हाइवे रोड (यमुना एक्सप्रेस वे) मुख्य सड़क मार्ग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव के 7 किलोमीटर की दूरी पर काली नदी तथा 40 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी है। भुजपुरा ग्राम पंचायत में मुख्य गांव भुजपुरा के साथ एक और टोला नगला भुजपुरा लगता है। ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 3525 है। जिसमें 1884 पुरुष और 1641 महिला निवास करती है। गांव में 25 दिव्यांगजन भी हैं। गांव में जहां 882 बच्चे हैं, वहीं 60 वर्ष के अधिक आयु वर्ग के 326 वरिष्ठ नागरिक भी हैं। गांव में कुल 946 परिवार हैं। जिसमें 461 परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार हैं। 868 घर पक्के के हैं तथा 78 घर कच्चे बने हुए हैं। उन 78 घरों में 20 घर फूस के, 15 घर पन्नी के तथा 43 घर मिट्टी लकड़ी के बने हैं। भुजपुराग्राम पंचायत लगभग 274.673 हेक्टेयर है जिसमें लगभग 239.739 हेक्टेयर में कृषि कार्य होता है। गांव की साक्षरता दर लगभग 92.5 प्रतिशत है।

गांव में एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें दो अध्यापक हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र भी स्कूल के परिसर में ही संचालित होता है। गांव का पंचायत भवन है, जिसमें अधिकांश बड़ी व छोटी ग्रामस्तरीय बैठके आयोजित किये जा सकते हैं। पंचायत भवन की बाउण्ड्रीवाल की रूपरेखा स्लोगन के साथ परिपूर्ण है। गांव का प्राथमिक विद्यालय भी स्लोगन, रंगाई पुताई व फूलवारी से परिपूर्ण है। उसके बाद गांव के बाहर उत्तर दिशा में अंग्रेजों के जमाने का एक किला का खण्डहर और कुआं देखा गया जिसमें 20 फीट पानी उपलब्ध है। गांव के लोगों का कहना है कि कुआं अंग्रेजों ने बनवाया था। कुएं का पानी कम नहीं होता है। गांव का जलस्तर 20 फीट पर है। गांव में 50 प्रतिशत लोगों के यहाँ मोटरपम्प भी लगे हैं। ग्राम पंचायत में एक खेल मैदान बना है, बारात घर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गांव में बिजली के हर खम्भे पर तिरंगा बनवाया गया है। साथ ही पूरे गांव के हर एक खम्भे पर लाउडस्पीकर के साथ सी. सी.टी.वी. कैमरे की व्यवस्था की गई है। गांव में एक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का सहज जनसेवा केन्द्र है, जिसमें गांव वालों को काफी सुविधा है। इस ग्राम पंचायत में कुल दो गांव—भुजपुरा और नगला है। इसलिए नगला भुजपुरा नाम है।

खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण

ग्राम पंचायत भुजपुरा में सर्दी का मौसम नवम्बर से लेकर जनवरी तक होता है। गर्मी का मौसम शेष 8 माह तक रहता है। जिसमें कभी—कभी वर्षा भी होती है, ओले भी पड़ जाते हैं, तूफान भी आ जाता है, जिसमें पेड़ों की क्षति भी हो जाती है। पिछले 10 वर्षों की बात करें तो 2 से 3 माह तक वर्षा होती थी। भुजपुरा गाँव के लोगो ने बताया की हमारे नगला भुजपुरा में कहीं से आने—जाने की रास्ता नहीं था तथा गांव तक कोई सामान वाहन द्वारा नहीं पहुँच सकता था रास्ते के अभाव में लोग पैदल ही अपना सामान ले जाते थे सन् 2016 में ग्राम प्रधान गिरीश चन्द्र जी ने आरसीसी मुख्यमार्ग बनवाया तब से गाँव तक पहुँच हो सकी है।

इस गांव की मुख्य फसलें गेहूँ, मक्का, सरसों, धान, तम्बाकू, चकोरी, बाजरा, आलू, अरहर, मसूर, चना, मटर, प्याज, लहसून, मूंग, फसलें होती हैं। इसमें चकोरी कॉफी बनाने के काम आती है और कॉफी अच्छी कीमत पर बिक्री होती है और अच्छा पैसा देती है।

ग्राम पंचायत भुजपुरा में सर्दी के मौसम में एकाएक बहुत सर्दी बढ़ जाती है। परन्तु पिछले 10 वर्षों में अपेक्षाकृत सर्दियों के दिनों में कमी आई है। पाले के प्रकोप से सत्यपाल व प्रेमपाल की एक-एक एकड़ आलू की फसल का नुकसान हुआ। अधिक ठंड पड़ने से दुग्ध उत्पादन में भी कमी आई।

5-7 वर्ष पूर्व गर्मी का मौसम पहले 15 मार्च से लेकर 15 जून तक रहता था। मई-जून में लू भी चलती है। अब गर्मियों में तापमान 48 से 52 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिससे बाहर का आवागमन प्रभावित होता है। लू के मौसम में डायरिया, खसरा, बुखार आदि बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और शिक्षा भी प्रभावित होती है।

पहले वर्षा लगभग 100 दिनों की होती थी, अब वर्षा के दिनों में कमी आई है। वर्षा के दिनों की संख्या मात्र 40-50 दिनों की रह गई है। ठीक से अच्छी वर्षा ना होने के कारण फसलों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे धान, मक्का आदि के उत्पादन में कमी आ जाती है।


वर्षा के दिनों में खुजली, फोड़ा, फुन्सी, मलेरिया जैसी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। वर्षा के दिनों में जानवरों को गलाघोटू बीमारी हो जाती है जिससे जानवरों की मृत्यु हो जाती है।

1. गांव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान करना एवं उनका प्राथमिकीकरण

भुजपुरा गांव के लोगों के साथ आपदाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। समुदाय एवं गांव की दिनचर्या, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, आदि गतिविधियां बाढ़ व सूखा दोनों से प्रभावित होती हैं। गांव व समुदाय को प्रभावित करने वाले आपदाओं एवं समस्याओं का प्राथमिकीकरण भी किया गया। इस गांव की मुख्य आपदा बरसात के समय में जल जमाव है। परिणामस्वरूप खेती, आजीविका, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता आदि में जोखिम की सम्भावना बढ़ जाती है।

जलवायु परिवर्तनशीलता – प्रवृत्ति / परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां / झटके एवं तनाव

गोरा नहर व सेमनपुर से निकला हुआ रजवाहा, ग्राम पंचायत भुजपुरा के नाला कुलावा नम्बर 61 से लेकर काली नदी में जाकर मिलता है। यह नाला प्रारम्भ और अंत, दोनों जगह से खुला है। हर वित्तीय वर्ष में इसकी सफाई होती है। लेकिन यह नाला बीच में 1.5 किलोमीटर तक जाम अर्थात् बन्द पड़ा है। परिणाम स्वरूप खेत की सिंचाई के समय नहर का पानी ओवरफलों करके सैकड़ों एकड़ जमीन में फैल जाता है जो एक बाढ़ का रूप ले लेता है और चारों ओर की फसलें नष्ट हो जाती हैं। बरसात के दिनों में यह और भी भयंकर रूप ले लेता है, क्योंकि खेती में पानी की आवश्यकता कम होती है और यह पानी आकर सीधे गाँव में प्रवेश कर जाता है। जिससे लगभग 2 माह तक जमाव की स्थिति बनी रहती है और जन जीवन प्रभावित होता है।



आपदा का इतिहास एवं क्षति

हाल फिलहाल में गांव में पिछले 10 वर्षों से कोई बड़ी आपदा नहीं आई है। किन्तु, लगभग 8 वर्षों से गांव में सूखे की स्थिति बनी रहती है जिससे फसल उत्पादन प्रभावित होता है। कोलाबा नम्बर 61 से आनेवाला पानी नगला भुजपुरा से धुमरी रोड की पुलिया तक नाला ना होने के कारण गांव में विशेषकर बरसात में बाढ़ आ जाती है जिससे गांव 2 माह तक प्रभावित हो जाता है। भुजपुरा गांव आम के बाग है और पूरा गांव इससे घिरा हुआ है। गर्मी के दिनों में अधिक आँधी तूफान व ओला-वृष्टि अधिक होने और वर्षा कम होने से फलदार वृक्षों व फसल का हर साल काफी नुकसान होता है। अच्छी बात यह रही कि गांव के लोगों के अनुसार कोविड काल में भी गांव में एक भी लोग कोरोना से प्रभावित नहीं हुए।

समुदाय के साथ उन आपदाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया, जिसकी क्षति गाँव को व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं। इसका प्रभाव वंचित समुदाय को एवं उनके संसाधनों की व्यवस्था को बिगाड़ देता है। वर्ष 2020 में बहुत तेज आँधी तूफान आया, जिससे पूरा गाँव प्रभावित हुआ। लगभग 50 आम के पेड़ टूट कर नष्ट हो गये। पिछले 5 वर्षों ने लगभग पूरे गाँव को प्रभावित किया है। अत्यधिक तापमान बढ़ने से डायरिया, बुखार, खसरा जैसी बिमारियाँ पड जाती हैं। लू एवं शीतलहर भी इस ग्राम पंचायत को प्रभावित करता है।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 04 देखें।

आपदा का नाम	जन0	फर0	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित0	अक्टू0	नव0	दिस0
जलजमाव												
सूखा												
लू												
शीतलहर												
आँधी तूफान												
ओला पत्थर												

2-जलवायु परिवर्तन जनित आपदाओं के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं आंकलन:

उपरोक्त आपदाओं के आधार पर होने वाले नुकसान, सम्भावित जोखिम समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव एवं उनसे प्रभावित समुदाय संसाधन आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। यह जानकारी समुदाय के सभी वर्गों महिला, पुरुष, दलित एवं वंचित समुदाय की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त की गई।

अपदाओं का ग्राम पंचायत भुजपुरा के पर्यावरण बुनियादी एवं आधारभूत संरचना के साथ ही मानव जीवन आजीविका एवं स्वास्थ्य आदि पर नकरारात्मक प्रभाव पर रहा है। जल जमाव, कृषि रोग, आपदाओं का भुजपुरा ग्राम पंचायत के समदर्भ में इनके विभिन्न प्रकार के जोखिम के सम्भावना बनती है। इससे गांव के लोगों ने बताया है कि जोखिम से उन्हें प्रति वर्ष जो नुकसान सहना पड़ता है, वह इस प्रकार है-

खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं:

क्र. सं.	आसन्न आपदा / खतरे	सम्भावित जोखिम का क्षेत्र	सम्भावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन
1	जल जमाव	पेयजल	पेयजल का दूषित होना	आधा भुजपुरा	240घर	13 उथले निजी हैण्डपम्प का जल स्तर दूषित
		स्वच्छता	गन्दे घूरे को पानी बहा ले जाकर आधे गाँव को प्रभावित करता है।	आधा भुजपुरा	240घर	खडंजा इण्टर लॉकिंग
		स्वास्थ्य	डायरियादस्त, फोड़ा फुन्सी	जलजमाव वाले क्षेत्र के लोग	20घर	20 लोग प्रभावित
		शिक्षा	आवागमन वाधित व फोडाफुन्सी निकलने से बच्चों की उपस्थिति में	पूरा गाँव	450घर	सडक,विद्यालय भवन एवं परिसर में सीपेज

		कृषि	खरीफ की फसल का नुकसान, धान, मक्का, फसल की बुआई में बिलम्ब और सूड़ी का प्रकोप	पूरा गांव	20 एकड़ खेत में जल जमाव
		उद्यान/सह जी उत्पादन	पेड़-पौधे एवं सब्जी फसल खराब हो जाना।	आधा गांव	18 खेती हर घर	20 एकड़ खेत में जल जमाव
		पशुपालन	पशुउत्पाद का कम होना		गाय,भैंस,एवं बकरीपालन
		आजीविका	स्थानीय स्तर पर मजदूरी न मिलना।	665जॉबकर्ड	—	—
		जल निकाय	जल निकायों में गंदा पानी भरना	आधा गांव	...	20 एकड़ जल निकायों में गंदा पानी भरना
2	सूखा	पेयजल	जलस्तर का नीचे जाना पेयजल की कमी।	पूरा गाँव	466घर	7इण्डिया मार्का हैण्डपम्प,एवं 20 सामान्य प्राइवेट नल का जलस्तर नीचे चला जाता है।
		कृषि	उपज का प्रभावित होना	पूरा गाँव	
		उद्यान/सह जी उत्पादन	सिंचाई लागत एवं श्रम अधिक	पूरा गाँव	600 पेड़-पौधे 5 एकड़ सब्जी
		पशुपालन	जानवरो को चारा का संकट		
3	लू	स्वास्थ्य	मानव और पशुओ को लू लगना	पूरा गाँव	
		शिक्षा	बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित	आधा गाँव	400 बच्चें	डायरिया,बुखार,अँखो का लाल होना।
4	शीतलहर	स्वास्थ्य	मानव एवं जानवरो को ठण्ड लगना।	पूरा गांव	शीतलहर के प्रकोप से मानव स्वास्थ्य हानि
		कृषि	शीतलहर से फसलों को नुकसान	पूरा गांव	भेंहू, सरसों व दलहनी फसलों पर प्रभाव
		पशुपालन	पशु क्षति खेत में फसल का नुकसान	पूरा गाव	25 पशुपाल क घर	प्रत्येक वर्ष बरसात में 10 से 15 बकरी व भैंसों की मृत्यु।
5	ओला वृष्टि	मानव स्वास्थ्य एवं	छोटे बच्चें, वृद्धजन, महिलाओ के गिरने, चोट	78 घर	कच्चे घरों का क्षतिग्रस्त होना,

गाँव की स्थिति, नाजुक स्थान

भुजपुरा गाँव के समुदाय के लोगों के साथ भ्रमण करने के पश्चात् गाँव की स्थिति में गाँव की गलियाँ व नालियाँ सही रूप रेखा से व्यवस्थित तरीके से बनाई गई है। गाँव की चारों तरफ वाउंडरी लाइन पर स्वास्थ्य, स्वच्छता, पानी आदि के स्लोगन भी लिखे हैं। गाँव के सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, प्राइमरी विद्यालय, पंचायत भवन, महिला सामुदायिक भवन, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा के साथ जनसेवा केन्द्र भी है। गाँव में एक बकरी पालन केन्द्र भी है। गाँव की साफ सफाई के लिए सफाईकर्मी रोज गाँव में आता है। जिससे गाँव की गलियाँ व नालियाँ साफ सुथरी रहती हैं। गाँव के सभी लोगों के पास शौचालय भी हैं, गाँव के अधिकांश लोग शौचालय का ही प्रयोग करते हैं। गाँव में एक बारात घर का निर्माण कार्य भी चल रहा है।

आजीविका के साधनों पर आपदा का प्रभाव:

इस क्षेत्र में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि व उससे जुड़े पशुपालन व कृषिगत मजदूरी आदि है। इससे जुड़ी अन्य जानकारी संलग्न की जा रही है।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 05 देखें।

3. नाजुकता विश्लेषण:

आपदाओं का बार-बार सामना करने से उससे प्रभावित समुदाय सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। समुदाय व गाँव को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाने की दिशा में नाजुक स्थल, नाजुक समुदाय, नाजुक संसाधन आदि को जानना अति आवश्यक था। इसे जानने के लिए पुनः समुदाय आशाबद्द, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आदि की मदद से नाजुक वर्ग, जाति, लिंग, उम्र, आय के आधार पर गाँव में नाजुक स्थल आपदा के कारण प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायत में स्थित संसाधनों एवं उनकी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

❖ जल जमाव—

जलवायु परिवर्तन और आपदा के प्रभाव स्वरूप भुजपुरा ग्राम पंचायत में जल जमाव मुख्य समस्या है। जो कि नाले से आने वाले पानी से पैदा होती है। लगभग 20 एकड़ जमीन को प्रभावित करती है। वर्षा के दौरान यहां पानी पूरे गाँव को प्रभावित करता है।

➤ कासगंज से सिढपुरा होते हुए भुजपुरा की पूरी सड़क जर्जर है। इस पर आने जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

समुदाय पर जल जमाव का प्रभाव

➤ जल जमाव से भुजपुरा गाँव के 20 घर प्रभावित होत हैं। घरों के दीवारों में शीलन आ जाती है।

➤ इस ग्राम पंचायत में 2 तालाब हैं, जिनके नाम—हथगड़ा व जगनइया है। गाँव में जलनिकासी नाली द्वारा दोनों तालाबों में होता है, जिससे फसलों सिंचाई की जाती जाती है।

❖ सूखा—सामुदायिक के साथ चर्चा से यह तथ्य निकल कर आया कि सूखा गाँव की दूसरी बड़ी आपदा है। विगत 6-7 वर्षों से बरसात के मौसम में जून में बारिश हुई ही

नहीं और जुलाई माह में एक-दो दिन में ही अधिक वर्षा हो गई फिर कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। इससे सूखा जैसी स्थिति बन जा रही है।

- ❖ लू-लू तीसरे नम्बर पर गाँव को प्रभावित करने वाली आपदा है। समुदाय के साथ चर्चासे यह निकल कर आया कि गर्मियों के दिनों में 15 मई से 15 जून तक तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है व गर्म हवाएं चलने लगती हैं।

इससे समुदाय के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव एवं पशुओं को लू लगने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्गों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं। पशुओं को चारा एवं पेयजल हेतु पानी की समस्या होती है।

- ❖ शीत लहर-शीतलहर गाँव को प्रभावित करने वाली चौथे नम्बर की आपदा है। सर्दियों के मौसम में 15 दिसम्बर से 15 जनवरी तक शीतलहर का प्रभाव रहता है। शीतलहर मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य के साथ कृषि को भी प्रभावित करता है। गाय-भैंसों के दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। शीतलहर के कारण कृषिकार्य, मजदूरी आदि आजीविका प्रभावित होती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त समुदाय की व्यवहारगत एवं ढाँचागत संरचना में कमियां हैं, जो कि निम्नवत हैं-

- ✓ गाँव में समुदाय आधारित संस्थाओं की कमी है। युवा मंडल दल, धार्मिक मंडल दल, कृषि केन्द्र, किसान संगठन, सामुदायिक अनाज बैंक आदि सामाजिक संगठन की कमी है। इस कारण आपदा के समय समुदाय को सरकारी एवं बाहरी सहायता नहीं मिल पाती और सारी व्यवस्था स्वयं से करनी पड़ती है।
- ✓ गाँव में अधिकांश मुख्य फसलें गेहूँ, सरसों, धान, मक्का, तम्बाकू, चकोरी, अरहर, मटर, लहसून, अरबी, आलू, मूँग, मसूर, चना आदि फसले पैदा की जाती हैं।
- ✓ कृषिगत गतिविधियों में उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है।
- ✓ गाँव में गाय, भैंस, पशुपालन होने के बावजूद भी गोबर का प्रयोग जैबिक खाद बनाने के लिए नहीं करते, बल्कि कन्डे बनाकर जलाने के रूप में प्रयोग करते हैं।
- ✓ कृषि परामर्श एवं मौसम पूर्वानुमान चेतावनी तंत्र के अभाव है। जिसके कारण समयपूर्ण सूचना एवं जानकारी नहीं मिलती है।
- ✓ ग्रामस्तर पर लघु/सूक्ष्म उद्योग नहीं है।

4. क्षमता विश्लेषण:

आपदाओं के संदर्भ में गाँव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की दृष्टि से गाँव स्वयं में कितना सक्षम है इसकी जानकारी हेतु समुदाय के साथ मिलकर समग्र ग्राम पंचायत का क्षमता आंकलन किया गया।

ग्राम पंचायत भुजपुरा-कासगंज यमुना एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय मार्ग से 40 किलोमीटर दूर है। कासगंज नया जिला होने कारण भुजपुरा ग्राम पंचायत में विकास के कार्य प्रगति पर है। इस

गांव में ग्रामीणों की सुविधा के लिए सामुदायिक शौचालय जिसका समय सुबह 4 बजे से 9 बजे तक तथा शाम के 4 बजे से 9 बजे तक रखा गया है। बच्चों के शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय व एक निजी विद्यालय है। ग्राम पंचायत भुजपुरा में अधिकांशतः लगभग 92 प्रतिशत घर पक्के हैं। 45 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प भी पेयजल हेतु गांव में उपलब्ध हैं। गांव पंचायत में छोटे बड़े दो पोखरे हैं। संगठन के तौर पर यहां 8 महिलाओं की स्वयं सहायता समूह कार्यरत है। जिसमें सभी का बैंक से लिंक है तथा 3 का सी.सी.एल. हो चुका है। ग्राम पंचायत भुजपुरा में कृषि सिंचाई हेतु लगभग 400 डीजल पम्पसेट है व 10 विद्युत नलकूप है। शेष सिंचाई नहर से होती है। मनरेगा के तहत अमरूद, जामून, आम, पीपल, नीम, पाकड़, अर्जुन, अशोक के वृक्ष लगवाये गये हैं।

सामाजिक रूपरेखा

ग्राम पंचायत भुजपुरा में दो गाँव है, भुजपुरा और नगला। भुजपुरा और नगला दोनो गाँवों में भ्रमण करने के उपरान्त समाजिक रूपरेखा का आंकलन किया।दोनों गाँवोंमें ठाकुर,ब्राम्हण,मुस्लिम,कोरी,धोबी,जाटव,काछी,भंगी,बनिया,कहार,गडरिया,बौद्ध,तेली,नाई,सुनार,धानुक आदि जातियों के लोग रहते है।गाँव के आस-पास दो तालाब है।

जगनइया तालाब गाँव की पूरव तरफ और हथगड़ा तालाब गाँव के पश्चिम में है।गाँव के उत्तर दिशा में अंग्रेजों का कुँआ भी है। जिसमें 20 फिट पर पानी का लेवल रहता है। जिससे गाँव के चारों ओर हरियाली देखने को मिलती हैं।गाँव के उत्तर दिशा में कुँआ के पास अंग्रेजो का किला भी हैं। गाँव के बीच में एक पुरानी व विशाल इमारत भी हैं, जिसके सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई है। उन्हीं के परिवार के कुछ लोग वहाँ बैठक करनेजातेहै।





सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर नाजुक समुदाय, जनसंख्या आदि का विवरण :

ग्राम पंचायत भुजपुरा में तीन विधवा महिला हैं जो नाले के पानी से अधिक प्रभावित है जिसमें –

- स्वर्गीय किशोरी लाल की पत्नी कमला की आधा एकड़ जमीन का गेंहू नष्ट हो गया, उसके पास खाने का एक भी दाना नहीं हैं। मुन्नालाल की पत्नी राजवती का 0.3 एकड़ का गेंहूँ नष्ट हुआ। बुधपाल की पत्नी सुनिता का डेढ़ एकड़ का गेंहूँ नष्ट हुआ। ये लोग पिछड़ी जाति के हैं।

- इस गाँव में कुल घरों की संख्या 946 हैं। पक्के घरों की संख्या 868 है। फूस के घरों की संख्या 20, पिन्नी के घरों की संख्या 15, मिट्टी व लकड़ी के घर 43 है।

विकलांग लोगो की संख्या 25 हैं। कुल बच्चे 882 है तथा 60 वर्ष के लोगों की संख्या 326 हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में – लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कम पढ़ाना, उनकी पूरी शिक्षा ना करवाना, खानपान में भेदभाव करना आदि शामिल है।

सुविधा संसाधन मानचित्र से लिए गए आकड़े एवं तथ्य

विशेषकर संसाधनो के सन्दर्भ में किए गए क्षमता आंकलन को तीन भागों में विभक्त किया गया, जिसमें गाँव में उपलब्ध भौतिक एवं पर्यावरणीय संसाधनो को सामाजिक मानचित्रण एवं सुविधा मानचित्र पर अंकित किया गया, जबकि मानव संसाधन के बारे में समुदाय के साथ चर्चा कर सूचनाए प्राप्त की गयीं।

भौतिक संसाधनो की उपलब्धता एवं गांव से दूरी

क्रम	विवरण	संख्या	सम्पर्क व्यक्ति का नाम एवं संख्या	गाँव से दूरी
1	प्राथमिक विद्यालय	1	पुष्पेन्द्र सिंह सास्वत 7337671947	150 मी.
2	पूर्व माध्यमिक विद्यालय(प्राइवेट))	0	नजिया 9105541058	300 मी.
3	निजी इंगलिश मीडियम विद्यालय	1		400 मी.
4	पंचायत भवन	1	गिरीश चन्द9758639790	100 मी.
5	सरकारी राशन कार्ड की दुकान	1		350 मी.
6	थाना	1		4 किमी.
7	क्वहरी	1		20किमी.
8	जिला चिकित्सालय	1		20किमी.
9	एम्बूलेंस व्यवस्था	1	102/108	4 किमी.
10	विकास खण्ड कार्यालय	1		4 किमी.
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1		5 किमी.
12	तहसील	1		19 किमी.
13	आपदा विभाग	1		35 किमी.
14	पोस्ट ऑफिस	1		0
15	बिजली विभाग	1		4 किमी
16	डिग्री कॉलेज	1		4 किमी
17	फायर स्टेशन	1		4.5 किमी

18	बिजली घर	1		4.5 किमी
19	बस स्टेशन	1		4 किमी
20	रेलवे स्टेशन	1		16 किमी
21	खाद बीज दवा केन्द्र	1		4 किमी
22	बाजार	1		4किमी
23	बैंक	1		4 किमी

क्रम	मानव संसाधन	सं.	नाम	मोबाइल नम्बर	छूरी
1	ग्राम प्रधान	1	गिरीश चन्द्र	9758639790	0
2	शिक्षक	5	नितिन उपाध्यय, सुषी ल कुमार, सुनील कुमार, पुष्पेन्द्र	9411057701, 9012765430 9012765430, 7737671947	0, 2किमी, 6किमी, 4किमी
3	शिक्षिका	1	नजिया	9105541058	4किमी
4	आंगनवाडी	3	बबिता, राधा, मधुवाला	7500370541, 6397304595 9758352745	0
5	आशा बहु	2	अनीता, भारती	9761879578, 7505625326	0
6	एएनएम	1	सीमा कुमारी	9148888457	4किमी
7	तैराक	5	आकाश, सौरभ, सतीश, विमल कुमार, धीरेन्द्र कुमार	0, 0, 500मी., 500मी.
8	झोलाझाप डॉक्टर	3	ठाकुरदास, अजयकुमार, मनीराम	500, 500, 500
9	भूतपूर्व सैनिक	2	श्यामसिंह, धर्मपाल	500, 0
10	पंचायत मित्र	1	ब्रजेश कुमार	500

प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता संख्या एवं दूरी

क्रम	संसाधन / पर्यावरणीय संसाधन	संख्या	विवरण नाम सम्पर्क संख्या	दूरी

1	तालाब	2	गडका, हथकडा,	
2	कुँआ	8		
3	नाला	1		
4	बाग	58		
5	नदी	0		
6	कृषिगत क्षेत्र	239.739 हे0		
7	खुला क्षेत्र	0		

वित्तीय संसाधन:

उपरोक्त के अतिरिक्त गांव के पास वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध है। इस ग्राम पंचायत में उपलब्ध होने वाले सम्भावित वित्तीय संसाधनों का विवरण निम्नानुसार है—

क्रम	मद	वर्ष 2022-23 रू0
1	15वां वित्त आयोग	113.38 लाख/- रू0
2	स्वयं के राजस्व का स्रोत(ओ0एस0आर)	13500/- रू0

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत भुजपुरा की कार्य योजना का निर्माण

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु सभी अभ्यासों को करने के उपरान्त सेक्टरवार जानकारी प्राप्त करने के लिए समूह चर्चा की गयी। इस चर्चा के दौरान ही सभी 5 सेक्टरों के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न बिन्दुओं की ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति, उससे सम्बन्धित समस्याएं,उन समस्याओं के निराकरण हेतु विशिष्ट कार्ययोजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। उपरोक्त सूचनाओं, तथ्यों एवं ग्रामिणों से चर्चा व विचार-विमर्ष के बाद ,जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण अवधारणा के तहत क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना को तैयार किया गया है जिसमें आपदा जोखिम, जोखिम के कारण व समाधान आदि के बारे में संकलन कर तैयार किया गया है।



सेक्टरवार स्मार्ट ग्राम पंचायत भुजपुरा की कार्य योजना तालिका

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना परिव्यय
1	सेक्टर-1 मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा साफ-सफाई एवं स्वच्छता	हैण्डपम्प रिबोर	पेयजल की उपलब्धता हेतु हैण्डपम्पों को रिबोर कराना	भुजपुरा-2 नगला-2	90,000	3 माह	15 वां वित्त आयोग
2		हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	पेयजल की उपलब्धता हेतु हैण्डपम्पों का मरम्मत कार्य करवाना	सभी नल	1,30,000	4 माह	15 वां वित्त आयोग /
3		पेयजल गुणवत्ता हेतु जांच की मशीन व किट	ग्राम पंचायत के हैण्डपम्पों से शुद्धपेयजल की प्राप्ति हेतु पानी जाँच की व्यवस्था बनाना	पंचायत भवन	2,00,000	1 वर्ष	15 वां वित्त आयोग
4		तालाब जीर्णोद्धार व संरक्षण	2 तालाबों का संरक्षण कार्य-सफाई, गहरी खुदाई, पौध रोपण, बॉउण्ड्री निर्माण, बैठने के लिए सीमेन्टेड बेन्च आदि का निर्माण कार्य	गडका, हथकडा,	5,00,000	2 वर्ष	15 वां वित्त आयोग
5		कूड़ा पात्र रखवाना	सार्वजनिक स्थल व चौराहों पर 18 कूड़ेदान	पूरा गांव	3,50,000	1 वर्ष	15 वां वित्त आयोग
6		कूआ जिर्णोधर	कचड़े से पटे 8 कूओं की सफाई एवं उपरी सतह का मरम्मत कार्य	भुजपुरा - 5 नगला भुजपुरा -3	3,80,000	1 वर्ष	15 वां वित्त आयोग / मनरेगा
7		व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	25 व्यक्ति का शौचालय	पूरा गांव	3,00,000	6 माह	15 वां वित्त आयोग
8		नाला सफाई, मरम्मत एवं निर्माण	2 किलोमीटर नाला की सिल्ट, गन्दगी, सफाई, मरम्मती एवं निर्माण कार्य	नगला भुजपुरा से धुमरी रोड की पुलिया तक	3,00,000	6 माह	15 वां वित्त आयोग

9		नाली पुलिया निर्माण व मरम्मत कार्य एवं क्रास जाल	(क) नाली निर्माण (ख) नाली निर्माण (ग) पुलिया निर्माण कार्य (घ) लोहे के क्रास जाल	1.) राधेश्याम के से घर के रामकिशोर के तक बाग तक लगभग 1 किलोमीटर 2.) रमेश के घर से मखमूल के घर तक 500 मीटर 3.) गांव में 15 स्थानों पर पुलिया निर्माण कार्य 4.) पूरे गांव में नालियों के ऊपर लोहे के क्रास जाल	7,64,000 3,75,000 4,00,000 2,00,000	2 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष	15 वां वित्त आयोग 15 वां वित्त आयोग 15 वां वित्त आयोग 15 वां वित्त आयोग
10	सेक्टर-2 बुनियादी/आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	अन्येष्टि स्थल निर्माण कार्य	खुले में एक बरामदा, कमरा, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था	अंग्रेजों के पुराने किले के पास	25,00,000	2 वर्ष	15 वां वित्त आयोग
11		खेल मैदान निर्माण कार्य	दो कमरा, बेन्च, पानी एवं शौचालय की व्यवस्था व खेलकूद सम्बन्धित सामान की व्यवस्था	पंचायत घर के पास	50,00,000	2 वर्ष	15 वां वित्त आयोग
12		प्रधानमंत्री आवास निर्माण	20 प्रधानमंत्री आवास निर्माण	पूरा गांव	28,00,000	2 वर्ष	15 वां वित्त आयोग

13		सड़क निर्माण/आर.सी.सी./ इण्टरलॉकिंग कार्य	50 मीटर सड़क निर्माण	रामवीर के घर से अनोखे के घर तक	3,15,000	6 माह	15 वां वित्त आयोग
14		सड़क निर्माण	600 मीटर सड़क निर्माण	महेश के घर नरेश के घर तक	4,45,000	6 माह	15 वां वित्त आयोग
15	सेक्टर-3 आजीविका, पशुपालन	व्यक्तिगत बाग बगीचा निर्माण कार्य	समूह की महिलाओं के माध्यम से 500 पेड़ (आंवला, आम, अमरूद, करौंदा, जामुन आदि) लगवाना	ग्राम पंचायत की भूमि पर जैसे तालाब का किनारा, नाला किनारे	1,00,000	6 माह	मन्रेगा
16		स्थाई पशु आश्रय स्थल	20 व्यक्तिगत पशु आश्रय स्थल का निर्माण	पूरा गांव	40,00,000	1 वर्ष	15 वां वित्त आयोग
17		किसानों हेतु जागरूकता कार्यक्रम (प्रतिवर्ष 3 बार- रबि, खरीफ, जायद फसलों के समयानुसार)	तकनीकी कार्यपाला, आय में बृद्धि के सुझावों का प्रचार-प्रसार, जैविक खेती, मृदा संरक्षण एवं पशुपालन आदि	पूरा गांव	60,000	5 वर्ष	कृषि एवं पशुपालन विभाग
18		वन संरक्षण, स्वच्छता एवं पेयजल हेतु जागरूकता	बैठक, नारा लेखन, दीवार लेखन, रैली आदि	पूरा	50,000	1 वर्ष	कृषि एवं पशुपालन विभाग (ओ.एस.आर.)

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया

वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत भुजपुरा की आगमी वित्तिय वर्षो हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत के समग्र जन की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राम प्रधान श्री गिरीश चन्द्र द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2023 को पूरे ग्राम सभा में लाउडस्पीकर द्वारा सूचना की गयी कि दिनांक 13.03.2023 को पंचायत भवन, भुजपुरा में खुली बैठक आयोजित की गई है।

खुली बैठक

ग्राम पंचायत भुजपुरा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निरूपण हेतु हितभागियों की ग्राम सभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 13.03.2023

को पंचायत भवन में खुली बैठक का आयोजन किया गया। इस खुली बैठक में ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आंगनवाडी



कार्यकर्त्री, आशाबहू, ग्रामीण किसान महिलाएं एवं पुरुष के साथ अन्य बुजुर्ग ग्रामवासी एवं बच्चे उपस्थित हुए। इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्री गिरीश चन्द्र ने किया।

बैठक के प्रारम्भ में सभी का स्वागत व परिचय ग्राम पंचायत सचिव श्रीमतीकुसुमलताद्वारा किया गया। बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डाला एवं बताया कि जलवायु परिवर्तन का असर पूरा विश्व झेल रहा है। इसका पूरा प्रभाव हमारे ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों पर पड़ भी हो रहा है।

ग्राम पंचायत समितियों का विवरण-

प्रशासनिक समिति	निर्माण कार्य समिति	स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
सभापति- गिरीष चन्द्र	सभापति-षिवनन्दन	सभापति-भारती
सदस्य	सदस्य	सदस्य
म्मता	म्मता	पुष्पा
लक्ष्मी	लक्ष्मी	सुनिता
प्रदीप	प्रदीप	म्मता
सत्यपाल	सत्यपाल	गंगोत्री
शिवनन्दन	श्रामजीत	गोविन्द
श्रामजीत	नफीस	जहिद

पेयजल,स्वच्छता एवं जल प्रबंधन समिति	नियोजन एवं विकास समिति	शिक्षा समिति
सभापति-प्रदीप	सभापति-गिरीष चन्द्र	सभापति- गिरीष चन्द्र
सदस्य	सदस्य	सदस्य
पुष्पा	ममता	ममता
सुनिता	गंगोत्री	रामजीत
शिवनन्दन	शिवनन्दन	प्रदीप
नफीस	प्रदीप	नफीस
लक्ष्मी	सत्यपाल	लक्ष्मी
रामजीत	रामजीत	सत्यपाल

क्रमांक	पंचायत सदस्य का नाम	मोबाइल नम्बर
1	श्री गिरीष चन्द्र,ग्राम प्रधान	9758639790
2	श्री मति ममता, वार्ड सदस्य	8858662034
3	श्री मति लक्ष्मी, वार्ड सदस्य	8433406774
4	श्री प्रदीप, वार्ड सदस्य	8449387932
5	श्री सत्यपाल, वार्ड सदस्य	8958742702
6	श्री शिवनन्दन, वार्ड सदस्य	6396204136
7	श्री रामजीत, वार्ड सदस्य	7655753170
8	श्री मति पुष्पा, वार्ड सदस्य	9880662201
9	श्री मति सुनिता, वार्ड सदस्य	9193023457
10	नफीस, वार्ड सदस्य	8218930195
11	श्री मति भारती, वार्ड सदस्य	9756740028
12	गंगा श्री, वार्ड सदस्य	9927915218
13	श्री गोविन्द, वार्ड सदस्य	6399083371
14	जहिद	8851948450

ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)

समग्र ग्राम पंचायत के जलवायुगत आपदा एवं जोखिम को समझने की दृष्टि से खुली बैठक में उपस्थित ग्रामप्रधान प्रतिनिधि, 8 स्वयं सहायता समूह की महिलायें एवं समुदाय के सभी लोगों ने ग्राम पंचायत भुजपुरा का गृह भ्रमण किया। इसकी शुरुआत ग्राम प्रधान के कार्यालय से शुरू कर गांव के सभी वार्ड मेम्बरों से मिलते हुए आशाबहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से मिलकर बातचीत की। इसके पश्चात पूरब में जगनइया ताल का निरीक्षण किया गया। उसके बाद पूरे गांव का भ्रमण करते हुए गांव के पश्चिम हथगड़ा तालाब पर गये। लोगों ने बताया कि यहाँ अंग्रेजो का किला व उन्हीं के द्वारा निर्मित एक भव्य कूँआ भी देखने को मिला।

ट्रांजेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गयी स्थितियाँ

बसाहट	<p>2 टोले हैं</p> <p>भुजपुरा गांव जनपद मुख्यालय कासगंज से 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा है तथा गांव से विकास भवन की दूरी लगभग 43 किलोमीटर है। गांव से बाहर आवागमन हेतु सिद्धपुरा से धुमरी रोड तथा अलीगंज ऐटा हाइवे रोड (यमुना एक्सप्रेस वे) मुख्य सड़क मार्ग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव के 7 किलोमीटर की दूरी पर काली नदी तथा 40 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी है। भुजपुरा ग्राम पंचायत में मुख्य गांव भुजपुरा के साथ एक और टोला नगला भुजपुरा लगता है। ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 3525 है। जिसमें 1884 पुरुष और 1641 महिला निवास करती है। गांव 25 दिव्यांगजन भी हैं। गांव में जहां 882 बच्चे हैं, वहीं 60 वर्ष के अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक भी 326 हैं। गांव में कुल 946 परिवार है। जिसमें 461 परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं। 868 घर पक्के के है तथा 78 घर कच्चे बने हुए हैं। उन 78 घरों में 20 घर फूस के, 15 घर पन्नी के तथा 43 घर मिट्टी लकड़ी के बने हैं। भुजपुरा ग्राम पंचायत लगभग 274.673 हेक्टेयर भूमि में वसा है जिसमें लगभग 239.739 हेक्टेयर में कृषि कार्य होता है।</p> <p>45 इण्डिया मार्का नल है। इसके अलावा गांव में गाय, भैंस, बकरी, सुअर, भेड़ आदि पशु हैं।</p>
ताल-तलैया	<p>गांव में 2 तालाब हैं। एक जगनइया तालाब है, जो 2 एकड़ का है।</p> <p>दूसरा हथगड़ा तालाब है, जो ढाई एकड़ का है।</p>
नाला	<p>ग्राम पंचायत के उत्तर दिशा में 1 नाला पूरब पश्चिम की ओर निकलता है। कुछ दबंग लोगों ने डेढ़ किलोमीटर काटकर खेत बना लिये हैं। इस नाले की सफाई व पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।</p>

हरितक्षेत्र
बाग-बगीचा

ग्राम पंचायत के भ्रमण में बहुत ही अच्छी हरियाली देखने को मिली। इस गांव में –

क्र.	बगीचे के मालिक का नाम	आम के पेड़ की संख्या
1	किशोरी लाल	70
2	श्रामदास	65
3	श्राजाराम	50
4	राम गोपाल	55
5	पनसिंह	78
6	करन सिंह	75
7	लाला राम	90
8	बैचे लाल	52
9	दौलत राम	62
10	श्याम बिहारी	65
11	ळरिओम	67
12	इशु	92
13	टजीत	100
14	छलवीर	103
15	टमित	101
16	मुकेश	106
17	सुरेन्द्र	75
18	मनोज	76
19	लटूरी	77
20	सतेन्द्र	80
21	दुशासन	90
22	रामचन्द्र	92
23	गीतम	70
24	सत्यपाल	72
25	वीर बहादुर	72
26	बिन्दू	66
27	सुभाष	135
28	धर्मवीर	50
29	जुगेन्द्र	52
30	शिवरतन	56
31	शिलेन्द्र	60
32	संदीप	61

	33	टोमवीर	70
	34	विजेन्द्र	72
	35	रविन्द्र	73
	36	उर्मिला	80
	37	थ्वनोद	66
	38	सुभाष	61
	39	गिरीष चन्द्र	63
	40	हरिभान	70
	41	राज किशोर	65
	42	राजेश	64
	43	प्वन	66
	44	राकेश	60
	45	सचिन	57
	46	नरेशपाल	50
	47	मुशर्रफ	53
	48	नेकशी बेगम	58
	49	मो0 राज	60
	50	मुकीम	52
	51	त्सलीम	106
	52	बृजवासी	170
	53	सतीश	150
	54	व्दराम	152
	55	भूरेपाल	90
	56	राधेपाल	79
	57	टोड़ीराम	80
	58	प्रमपाल	50
भौतिक संसाधन	<p>पंचायत भवन के पश्चिम में बच्चे व बुजुर्ग को खेलने व टहलने के लिए पार्क बना है। गांव के बीचोबीच बारात घर का निर्माण कार्य भी चल रहा है। आंगनबाड़ी भवन में एक कमरा व बरामदा है। कमरे व बरामदे में टायल्स लगे हुए हैं। आंगनबाड़ी का शौचालय, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, पढ़ने के लिए अक्षर उपलब्ध है। प्राथमिक विद्यालय का भी जीर्णोद्धार किया गया – जिसमें 2 कमरे व बरामदा है। जिसकी लिपाई-पुताई, टायल्स, मेज, कुर्सी की व्यवस्था कराई गई है। यहां एएनएम के बैठने के लिए केन्द्र है। इसमें 4 कमरे, बरामदा व डिलीवरी कक्ष, गेस्ट रूम, एएनएम ऑफिस, रसोई घर, क्लीनिक रूम, इण्डियामार्क</p>		

	हैण्डपम्प है। लेकिन अच्छी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण जड़जर अवस्था में और उपयोग में नहीं आ रहा है।
--	---

सामाजिक मानचित्रण


सभी मजदूरों के भ्रमण के उपरांत ग्राम पंचायत में उपस्थित खेलकूद मैदान के परिषर में ग्रामवासियों के उपस्थिति में सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया, जिसके आधार पर प्राप्त सूचनाएं निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं—


विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहदी का क्षेत्रफल	274.673 हे०	ग्राम पंचायत सहित
कुल टोलों की संख्या	2	नगला भुजपुरा
कुल घरों की संख्या	946	नगला भुजपुरा
कुल पक्के घरों की संख्या	868	प्रत्येक मकान पक्के छत वाले हैं।
कुल कच्चे घरों की संख्या	78	फूस के घर 20, प्लास्टिक 15, मिट्टी लकड़ी 43
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	461	400 बी०पी०एल, 61 अनतोदय=461
विकलांग जनों की संख्या	25

जातिगत—श्रेणीगत विवरण

सामान्य जाति के घरों की संख्या	330
पिछडी जाति के घरों की संख्या	380
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	236
कुल घरों की संख्या	946

आजीविका के साधन	व्यक्ति की संख्या
सरकारी नौकरी	11
छोटे धन्धे	5
कृषि आधारित	509
कला एवं शिल्पकार	18
पशुपालन	20
लोकल दुकान	37
मजदूरी	346





आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाक्रम

ग्राम पंचायत भुजपुरा का ऐतिहासिक समय रेखा आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के बाद समुदाय के साथ यह भी जानने का प्रयास किया कि ये आपदाएं इस ग्राम पंचायत को कब-कब प्रभावित कर रही हैं। इस क्रम में इन आपदाओं का ऐतिहासिक समयरेखा जानने का प्रयास किया गया, जिसमें समुदाय ने माना कि जलजमाव एक ऐसी आपदा, जो लगातार समुदाय को प्रभावित कर रही हैं।

अधिक ठंड पड़ने की वजह से अनवार खों की 3-3 बकरियों की मृत्यु हो गई।

दुग्ध उत्पादन में भी कमी आई।

10 वर्ष पहले गर्मी का मौसम अप्रैल से जुलाई तक रहता था। अप्रैल मई जून तक गर्म हवा चलती थी जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होता है।

लू के मौसम में बुखार व खसरा जैसी बीमारियों से लोग प्रभावित होते हैं। 10 वर्ष पहले 4 माह की बरसात का समय हुआ करता था। आज मुस्किल से वर्षा का समय 2 माह बचा है। अच्छी वर्षा न होने के कारण गांव में सड़को पर गन्दा पानी भरने से गांव के लोगों को खुजली बुखार मलेरिया जैसी बीमारियां होती है। वर्षा के समय में जानवरों को गलाघोटू की बीमारियां होने से जानवरों की मृत्यु हो जाती है।



क्रम	वर्ष	आपदा-खतरा	घटनाओं का कारण	मृतकों की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1.	2000	सूखा	बारिश कम हुई	-	500	50 हे0 खेत प्रभावित	2015-2016 में पंचायत के तालाबों की खुदाई व पेयजल हेतु हैण्डपम्प रिगोर व मरम्मत कार्य। कोई कार्य नहीं।
2.	2011	आंधी तूफान	पेड पौधो छतिग्रस्त	-	-	120 पेड	कोई कार्य नहीं।
3.	2010	टोला	मौसम खराब	-	200	100 एकड की फसल पूरी तरह बरबाद हो गई।	कोई कार्य नहीं।
4.	2015	जलजमाव	जल निकासी का अभाव, नालों पर अतिक्रमण	-	-	फसल बेकार हो जाती है।	कोई कार्य नहीं

आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव

क्रमांक	टाजीविका के प्रकार	परिवार की संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है
				अधिक	मध्यम	कम	
1	कृषि	946	जलजमाव				<ul style="list-style-type: none"> • लगभग 20 एकड़ फसल नष्ट हो जाती है। • धान व रबी की फसल उत्पादन प्रभावित होती है। कीट व बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है।
			सूखा शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> • सिंचाई अधिक लगती है, फसलेशुलस जाती है। • सरसों में माहू का प्रकोप बढ़ जाता है। • फसलों की बढवार प्रभावित हो जाती है।
2	मजदूरी	146	जलजमाव				<ul style="list-style-type: none"> • आने जाने में परेशानी, रोजगार प्रभावित • खेतीहर मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पाती।
			सूखा				<ul style="list-style-type: none"> • फसले प्रभावित होती है। • भूमिगत जल निकालने में अधिक व्यय होता है। • जनजीवन प्रभावित होता है।
3	पशुपालन (गाय, भैंस, बकरीपालन, मुर्गीपालन आदि)	20	जलजमाव				<ul style="list-style-type: none"> • अच्छा चारा नहीं मिल पाना। • फसलों में पानी भर जाने के कारण चारा नहीं मिल पाना। • पशुओं में बिमारी बढ़ जाना।
			सूखा शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> • दूध की कमी हो जाना। • पशुओं को नहलाने में परेशानी हो जाना। • अधिक तापमान होने के कारण चारा में कमी। • दूध की कमी हो जाना। • पशुओं का स्वास्थ्य खराब होना। • पशुओं की मृत्यु हो जाना।

4	स्वयं का व्यवसाय (छोटी दुकान आदि)	2	जलजमाव			<ul style="list-style-type: none"> •सामान लाने ले जाने में असुविधा। •कच्चा माल खराब हो जाना। •सामान मंहगा हो जाना। •सामान लाने ले जाने में सुविधा।
			सूखा			
			शीतलहर			

रिपोर्ट टीम का नाम

1. उदयस्तन, 2. रामनारायण, 3. अल्का, 4. विश्वम्भर नाथ
2. संस्था का नाम –ग्राम स्वराज्य मिशन आश्रम, जंगबहादुरगंज, लखीमपुर खीरी (उ.प्र.)।

अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p>चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p>चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p>चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)⁹⁴ = ₹ 70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)⁹⁵ = ₹ 1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹ 1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण की क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		<p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/ हेक्टेयर माना जाता है</p>
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p>चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत⁹⁶ = ₹ 40,000/हेक्टेयर⁹⁷</p>	

94 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

95 लागत बाजार भाव के अनुसार

96 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

97 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹ 1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	बांधों का निर्माण	<p>चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p>चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p>चरण 3: मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> - मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है - ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं। 	1 मी. मेड़बंदी के लिए ⁹⁸ = ₹ 150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p>चरण 1: 5-10 तालाब</p> <p>चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³</p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण ⁹⁹ = ₹ 90,000	

98 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

99 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4	प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाना	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹ 60,000</p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹ 33,000</p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500</p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹ 1,00,000 कुल लागत 100: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e--> 2.471 * 1,00,000 = ₹ 2,47,100</p>	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p>चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p>चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</p>	10 m ³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत ¹⁰¹ = ₹ 35,000 1 पुनर्भरण गड्डे की लागत = ₹ 35,000	
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p>चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p>चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p>चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत¹⁰²: 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹ 7 लाख</p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 मीटर³ क्षमता) का निर्माण = : ₹ 7 लाख</p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹ 1,200 प्रति यूनिट</p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹ 3, 75,000</p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹ 50,000</p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹ 20 प्रति यूनिट</p>	
3	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	<p>चरण 1: मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण)</p> <p>चरण 2 और 3: चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें</p>	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	

101 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

102 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4	स्वच्छता में सुधार	चरण 1: घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना चरण 2 और 3: शौचालय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव	लागत: एचआरवीसीए के अनुसार	

समतत एवं उन्नत गतिशीलता

1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य चरण 2 और 3: सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत ¹⁰³ : ₹ 50,00,000 प्रति किलोमीटर	
2	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्षा	1 ई-ऑटोरिक्षा की कीमत: ~₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	
3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 & 3: निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹ 6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹ 5 से 10 लाख	

¹⁰³ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दर/किमी के अनुसार लागत और एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	<p>चरण 1:</p> <p>a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को सम्मिलित करना</p> <p>b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्कैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</p>	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या =</p> <p>कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		<p>चरण 2:</p> <p>a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई</p> <p>b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>e. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत</p> <p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना ।</p>	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		चरण 3: a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹⁰⁴ : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹ 95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर ¹⁰⁵ = ₹ 15,000 3. प्लास्टिक श्रेडर यूनिट = ₹ 50,000 प्रति यूनिट	
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	चरण 1: a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न की जा सकती है ¹⁰⁶ = मात्रा (किलो/दिन) जैविक अपशिष्ट / 2	
		चरण II और III: a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹⁰⁷ : 1. 20 कम्पोस्ट पिट लागत संदर्भ = ₹2,00,000	
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	चरण 1: a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	

104 लागत बाजार भाव के अनुसार

105 एसबीएम दिशानिर्देशों और एचआरवीसीए रिपोर्ट में इनपुट के अनुसार लागत

106 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20the%20microbes,food%20waste%20turns%20into%2050%20kg%20of%20>

107 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		चरण 2: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		चरण 3: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

1.	सौर छतें	<p>चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>सौर क्षमता की गणना के लिए एमएनआरआई सोलर रूफटॉप पोर्टल का उपयोग करें।</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से</p> <p>कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)* 0.82/ 1000 = ____</p> <p>tCO <</p>
		<p>चरण 2 और 3:</p> <p>परिवार</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p> <p>मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p>चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
2 ¹⁰⁸	कृषि- फोटोवोल्टिक	चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25% चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)	प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति किलोवाट लागत = ₹ 1 लाख प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365	
3	सौर पंप	चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना	स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न= कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365 प्रति पंप लागत = ₹ 3 से 5 लाख ¹⁰⁹	डीजल की खपत को कम करना =390 लीटर/ प्रति/वर्ष प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390 उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO ₂ e)

108 https://solarrooftop.gov.in/rooftop_calculator

109 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग/ क्लीन कुकिंग	<p>चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹ 50,000</p> <p>2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹ 45,000</p> <p>1 बेहतर चूल्हे की लागत = ₹ 3,000¹¹⁰</p>	
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p>चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना ।</p> <p>चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹ 70</p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹ 220</p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹ 1,110¹¹¹</p>	
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/ आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	<p>1 हाई-मास्ट की लागत = ₹ 50,000</p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹ 10,000¹¹²</p>	

110 बाजार दर के अनुसार लागत

111 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

112 बाजार दर के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियाँ और फलों और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागो: ₹ 8-15 लाख प्रवित यविनट लागत: 8-15 लाख प्रति यूनिट ¹¹³	
---	---	--------------------------	--	--

113 बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a : अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।


लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a : नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढाँचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाई



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैवविविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्रवाई करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैवविविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
इमारती लकड़ी के पेड़			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्रोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
फल और जंगली खाद्य पौधे			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल सम्मिलित हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और साँस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न साँस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़			
एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंडेंसरॉक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
अन्य पेड़			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।



